सत्यमेव जयते

भारत सरकार

बजट 2020-2021 की घोषणाओं का कार्यान्वयन

[बजट भाषण — 1 फरवरी, 2020]

1 फरवरी, 2021

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

विषय - सूची

क्र.सं.	पैरा नं.	बजट भाषण 2020-21	पृष्ठ सं.
1	14	प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने में सुगमता।	1
2	18.01	डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सेवाओं का वितरण	1
3	18.02	राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के माध्यम से जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार	2
4	18.03	आपदा से उबरना	2
5	18.04	सामाजिक सुरक्षा	3
6	22(1)	कृषि आधारित गतिविधियों का समर्थन और मार्गदर्शन	4
7	23(1)	राज्यों को कृषि से संबंधित मॉडल कानूनों का विस्तार	6
8	23(2)	पानी की कमी वाले एक सौ जिले	7
9	23(3)	किसानों के लिए पृथक सोलर पंप	7
10	23(4)	सभी प्रकार के उर्वरकों का उपयोग	8
11	23(5)	गोदाम निर्माण	8
12	23(6)	ग्राम भंडारण योजना	10
13	23(7)	किसान रेल	10
14	23(8)	कृषि उड़ान	12
15	23(9)	बागवानी: एक उत्पाद एक जिला	12
16	23(10)	एकीकृत कृषि प्रणाली	13
17	23(11)	परक्राम्य भंडारण प्राप्तियों पर वित्तपोषण	14
18	23(12)	पीएम-किसान के लाभार्थियों को केसीसी योजना के तहत कवर किया जाएगा।	14
19	23(13)	2025 तक मवेशियों और भेड़ -बकरियों में होने वाली बीमारियों का उन्मूलन	15
20	23(14)	ब्लू इकोनॉमी	15
21	23(15)	मछली उत्पादन बढ़ाना	16
22	23(16)	स्व-सहायता समूह	18
23	26(1)	अस्पतालों की स्थापना के लिए वीजीएफ	18
24	26(2)	आयुष्मान भारत योजना में मशीन लर्निंग और ए.आई.	19
25	27	2025 तक क्षय रोग का उन्मूलन	19
26	28	जन औषधि केंद्र योजना का सभी जिलों तक विस्तार	20
27	29	ओडीएफ: तरल और ग्रे वॉटर प्रबंधन	21
28	30	जलजीवन मिशन: सभी घरों में पाइप द्वारा जलापूर्ति	22

क्र.सं.	पैरा नं.	बजट भाषण 2020-21	पृष्ठ सं.
29	31	राष्ट्रीय शिक्षा नीति	22
30	32	उच्च गुणवत्ता शिक्षा देने में सक्षम होने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार और एफडीआई का स्रोत उपलब्ध कराना	23
31	33	मार्च 2021 तक 150 उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षुता से संबद्ध डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करना।	23
32	34	यूएलबी द्वारा इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किया जाना	24
33	35	डिग्री स्तर पर पूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम	24
34	36	इंड-सैट का एशियाई और अफ्रीकी देशों में आयोजन किया जाना	25
35	37	राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय	25
36	38(1)	पीपीपी मोड में मौजूदा जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज को जोड़ना	25
37	38(2)	देश में पीजी मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देना	26
38	39	विदेशों में शिक्षकों, नर्सों, अर्द्ध-चिकित्सा स्टाफ और देखभाल करने वालों के लिए विशेष ब्रिज पाठ्यक्रम	26
39	40	निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ की स्थापना	27
40	41	पीपीपी मोड में राज्यों के सहयोग से पांच नए स्मार्ट शहर विकसित करना	28
41	42(1)	मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अर्ध-कंडक्टर पैकेजिंग के निर्माण को प्रोत्साहित करना	29
42	42(2)	चिकित्सा उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना	29
43	43	राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन	30
44	44	"शून्य दोष-शून्य प्रभाव" बनाना	31
45	45	उच्च निर्यात ऋण संवितरण के लिए निर्विक	32
46	46	शुल्क और करों का डिजिटल रिफंड	32
47	47	निर्यात हब के रूप में जिला	33
48	48	उद्योग और वाणिज्य का विकास और संवर्धन	33
49	49	राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी द्वारा अवसंरचना आधारित कौशल विकास के अवसरों पर विशेष बल देना।	35
50	50(1)	ढांचागत परियोजनाओं के लिए परियोजना तैयार करने की सुविधा	36
51	50(2)	स्टार्ट-अप में युवा-शक्ति को शामिल करना	36
52	51	राष्ट्रीय साजो-सामान नीति	37
53	52	राजमार्ग का त्वरित विकास	37
54	53	2024 से पहले 6000 कि.मी. से अधिक के राजमार्ग बंडलों के कम से कम बारह लॉट का मुद्रीकरण।	38

क्र.सं.	पैरा नं.	बजट भाषण 2020-21	पृष्ठ सं.
55	54	रेलवे में सुधार	39
56	55	कम से कम एक प्रमुख बंदरगाह को निगमित करना और स्टॉक एक्सचेंजों में इसे सूचीबद्ध करना।	41
57	56	जलमार्ग विकसित करना	42
58	57	2024 तक अन्य एक सौ हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे	43
59	58	बिजली के लिए स्मार्ट मीटरिंग	44
60	60(1)	राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार	45
61	60(2)	गैस बाजार: पारदर्शी मूल्य खोज और लेनदेन में आसानी।	45
62	62(1)	डाटा सेंटर पार्क का निर्माण	46
63	62(2)	सभी सार्वजनिक संस्थानों की डिजिटल कनेक्टिविटी	46
64	63	बौद्धिक संपदा निर्माण और संरक्षण	46
65	63(1)	बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में जटिलता और नवाचार के लिए आईओई में केंद्र	47
66	63(2)	ज्ञान अनुवाद समूह	47
67	63(3)	प्रौद्योगिकी समूहों को बढ़ाना	48
68	63(4)	भारत के आनुवंशिक परिदृश्य के लिए राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान योजनाएँ	48
69	63(5)	प्रारंभिक चरण स्टार्ट-अप के विचार और विकास का समर्थन करना	48
70	64	राष्ट्रीय परिमाण प्रौद्योगिकी और एप्लीकेशन मिशन के लिए 8000 करोड़ रुपए	48
71	67	महिला पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35600 करोड़ रुपए	49
72	69	सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए प्रौद्योगिकी	50
73	73	भारतीय विरासत और संरक्षण संस्थान की स्थापना	51
74	74	ऑन-साइट संग्रहालयों के साथ 5 प्रतिष्ठित साइटों का विकास	51
75	75	कोलकाता में भारतीय संग्रहालय का रि-क्यूरेशन	52
76	75(1)	पुराने टकसाल भवन, कोलकाता में मुद्रा-शास्त्र और व्यापार संग्रहालय	52
77	75(2)	लोथल में समुद्री संग्रहालय	53
78	76	पर्यटन प्रोत्साहन के लिए 2500 करोड़ रुपए	53
79	79	उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले थर्मल विद्युत संयंत्र बंद करना	54
80	80	दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ वायु के लिए 4400 करोड़ रुपए	55
81	81	कर दाता चार्टर	55
82	82	कंपनी अधिनियम में संशोधन	57
83	83	राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना	57
84	85	विशिष्ट राहत अधिनियम: संविदाओं का सम्मान	58

क्र.सं.	पैरा नं.	बजट भाषण 2020-21	पृष्ठ सं.
85	86	राष्ट्रीय सरकारी सांख्यिकी संबंधी नीति	58
86	91	बैंकों में शासन सुधार	59
87	92	जमा बीमा कवरेज को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक करना	60
88	93	सहकारी बैंक को सुदृढ़ करने के लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम में संशोधन	61
89	94	ऋण वसूली के लिए एनबीएफसी की सीमा में कमी	61
90	95	आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार की शेष धारिता की बिक्री	62
91	96	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पारदर्शिता और अधिक व्यावसायिकता	62
92	97	पीएफआरडीएआई में संशोधन	62
93	98(1)	कारक विनियमन अधिनियम 2011 में संशोधन	63
94	98(2)	एमएसएमई के उद्यमियों के लिए अधीनस्थ ऋण प्रदान करने हेतु योजना शुरू करना	64
95	98(3)	मार्च, 2021 तक एमएसएमई के लिए पुनर्गठन ऋण विंडों का विस्तार	64
96	98(4)	ऐप-आधारित चालान वित्तपोषण ऋण उत्पाद की शुरुआत	65
97	99	चयनित क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शन	65
98	100(1)	गैर-निवासियों द्वारा निवेश के लिए पूरी तरह से सुलभ मार्ग	66
99	100(2)	कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई की सीमा में वृद्धि	66
100	100(3)	वित्तीय अनुबंधों की नेटिंग के लिए एक तंत्र विकसित करने के लिए विधान।	66
101	101	नई ऋण-ईटीएफ में मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियां शामिल	66
102	102	एनबीएफसी/ एचएफसी को नकदी प्रदान करने के लिए तंत्र	67
103	103	आईआईएफसीएल में पूंजीगत घटक	67
104	104(1)	जीआईएफटी-आईएफएससी में एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (s) की स्थापना	68
105	105	आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचना।	69
106	112	भारत सरकार के पूँजीगत व्यय में वृद्धि	70

वर्ष 2020-21 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
1.	14	इस पृष्ठभूमि से हमारी सरकार देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी ताकि हम स्वास्थ्य, सम्पन्नता और खुशहाली के अगले स्तर पर तेजी से आगे बढ़ सकें। हम प्रत्येक नागरिक का जीवन आसान बनाने हेतु प्रयास करेंगे। **मंत्रालय/ विभाग: नीति आयोग**	संबंधित मंत्रालयों द्वारा विभिन्न पहल की जा रही हैं। नीति आयोग आकांक्षी जिला कार्यक्रम का समन्वय कर रहा है जिसके तहत 112 सबसे पिछड़े जिलों की पहचान की गई है और उन्हें विशेषकर स्वास्थ्य, पोषण, स्कूल शिक्षा, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में तेजी से बदलने की कोशिश की जा रही है। इस कार्यक्रम ने बहुत कम समय में, बड़े सुधार किए हैं और लोगों के कल्याण के लिए सुधार करके योगदान दिया है। वर्तमान में नीति आयोग उन संकेतकों को लागू करने के लिए जिला स्कोर कार्ड और जीवन जीने में आसानी के सूचकांक को अंतिम रूप दे रहा है जो जीवन जीने में आसानी का निर्धारण करते हैं। प्रस्तावित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, जब भी यह पूरी हो, से प्राप्त होने वाले फायदों को भी जीवन जीने में आसानी के ढांचे में शामिल किया जाना चाहिए। जीवन जीने में आसानी सूचकांक को संशोधित करने की प्रक्रिया अभी चल रही है।
2.	18.01	डिजीटल गवर्नेंस के माध्यम से अनगिनत सेवाओं को प्राप्त करना। **मंत्रालय/विभाग: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**	संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स (ईजीडीआई) के अनुसार, भारत ने शीर्ष 100 देशों में स्थान पाने के लिए, केवल चार वर्षों में 11 पायदान (2016 में 107 वां स्थान) चढ़कर 96 पर पहुंच गया है। ईजीडीआई ई-गवर्नमेंट के तीन सबसे महत्वपूर्ण आयामों पर सामान्य अंक का एक भारित औसत है। विभिन्न सूचकांकों के तहत भारत का स्कोर अर्थात् ऑनलाइन सेवा सूचकांक (ओएसआई) 0.9514, दूरसंचार बुनियादी ढांचा सूचकांक (टीआईआई): 0.2009 और मानव पूंजी सूचकांक (एचसीआई): 0.5484 है। भारत में 0.9514 का एक आशाजनक ओएसआई स्कोर है (सरकारी वेबसाइटों की ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता के आधार पर मूल्यांकन)। भारत ने 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में 0.955 के स्कोर के साथ ई-भागीदारी उप-सूचकांक में 15वां रैंक प्राप्त किया है। इसके अलावा, वैश्विक

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
			ओपन डेटा सूचकांक के अनुसार, भारत को संयुक्त राष्ट्र में 32वें स्थान पर रखा गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मंत्रालय ने डिजीलॉकर,उमंग, ई-साइन, सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) 2.0, ई-जिला मिशन मोड परियोजना, मायगोव , ई-हॉस्पिटल, ई-ताल, ओपन गवर्नमेंट डेटा (ओजीडी), ईमेल सॉल्यूशन, जीवन प्रमाण, नेशनल मेघ राज, भू-सूचना विज्ञान केंद्र (एनसीओजी), गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम), त्वरित आकलन प्रणाली (आरएएस), डिजिटल गांव, आदि जैसी अनगिनत सेवा सुपुर्दगी के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस पहल शुरू की हैं।
3.	18.02	राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के जरिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार लाना **मंत्रालय/विभाग: आर्थिक कार्य**	29/04/2020 को एनआईपी कार्यबल की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और 10/08/2020 को लॉन्च हुए एनआईपी पोर्टल में अब सभी एनआईपी परियोजनाओं को पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। परियोजनाओं की नियमित निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जा रही है। मंत्रालय/विभाग को परियोजना विवरण और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को नियमित रूप से अद्यतन कर रहे हैं। इसके अलावा, संबंधित मंत्रालयों द्वारा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्य किया जा रहा है। नीति आयोग जीवन की भौतिक गुणवत्ता और जीवन जीवन में आसानी में सुधार की निगरानी करेगा। यह निरंतर चलने वाला कार्य है और 2024-25 तक जारी रहेगा। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के वित्तपोषण के लिए अंतर-मंत्रालयीय संचालन समिति (आईएमएससी) के उप समूहों की सिफारिशें संबंधित एजेंसियों के समक्ष रखी जा रही हैं।
4.	18.03	आपदा से तत्काल उबरने के लिए जोखिम को कम करना **मंत्रालय/विभाग:गृह मंत्रालय**	राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यनीतियों को निरंतर बनाए जाने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में 2019 में संशोधन किया गया था। 33 राज्यों ने राज्य आपदा प्रबंधन योजना को मंजूरी दे दी है। 670 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन योजना है। सरकार विकासशील देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में सीडीआरआई का शुभारंभ किया था। भारत ने इसकी मेजबानी की। आपदा

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
			जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन और पिछले वर्षों में सार्क, बिम्सटेक और शंघाई सहयोग संगठन के साथ संयुक्त आपदा प्रतिक्रिया अभ्यास किया गया। जिलों/ राज्यों द्वारा राष्ट्रीय डेटा हानि डेटाबेस रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन टूल अर्थात् राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनडीएमआईएस) विकसित की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए ऑनलाइन मासिक रिपोर्टिंग भी अनिवार्य है। ये रिपोर्टिंग भारत द्वारा अपनाए गए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) 2015-2030 के एसएफएम टूल के लक्ष्यों के तहत रिपोर्टिंग संकेतकों की सुविधा प्रदान करेगी। एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण वित्त-पोषण विंडो के लिए दिशा निर्देश 19.11.2020 को जारी किए गए हैं।
5.	18.04	पेंशन और बीमा प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा **मंत्रालय/विभाग: वित्तीय सेवाएं**	विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीमों के तहत नामांकन: • पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत् 7.66 करोड़ - 31.10.2020 तक • पीएमएसबीवाई के अंतर्गत् 20.51 करोड़ - 31.10.2020 तक • एपीवाई के अंतर्गत् 2.68 करोड़ - 8.12.2020 को सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आगे उठाए गए कदम: • निर्बाध नामांकन, दावों के निपटान, डी-डुप्लीकेशन और धोखाधड़ी की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण। • कॉर्पोरेट को पीएमजेजेबीवाई/ पीएमएसबीवाई के तहत नामांकन पर किए गए व्यय को उनकी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) मानने के लिए अनुमति देना। • वर्तमान में देश में पेंशन का दायरा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने हेतु पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 में संशोधन किया जा रहा है। • एनपीएस (निजी क्षेत्र) के तहत स्वैच्छिक कवरेज 31.03.2016 को 6.86 लाख ग्राहक से बढ़कर 5.12.2020 को 24.85 लाख ग्राहक हो गई है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
6.	22(1)	कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है। इसके लिए कृषि बाजारों का उदारीकरण किए जाने की जरूरत है। कृषि और पशुधन बाजारों में विसंगतियों को हटाए जाने की आवश्यकता है। कृषि उत्पाद, साजो-सामान और कृषि संबंधी सेवाओं की खरीद के लिए बहुत अधिक निवेश की जरूरत होती है। पशुपालन, मधुमक्खी पालन तथा मछली पालन जैसी कृषि आधारित गतिविधियों के लिए पर्याप्त मात्रा में सहायता और मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता है। किसान भंडारण, वित्तपोषण, प्रोसेसिंग और विपणन को शामिल करते हुए समग्र समाधान चाहते हैं। **मंत्रालय/विभाग: पशुपालन और डेयरी कृषि सहकारिता और किसान कल्याण, मत्स्य पालन**	**पशुपालन और डेयरी विभाग** पशुपालन और डेयरी विभाग 2017-18 के बाद से 11184 करोड़ रुपए के परिव्यय से डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए डेयरी अवसंरचना विकास निधि योजना लागू कर रहा है। सुचारू कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं। यह किसानों को संगठित दूध प्रसंस्करण और बाद में इसके विपणन में एकीकृत करने में मदद करता है। डीआईडीएफ योजना के दिशा-निर्देशों में बैंकों/ वित्तीय संस्थानों की ब्याज दर के साथ फंड को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए संशोधन किया गया है और तदनुसार अक्टूबर 2020 में प्रशासनिक अनुमोदन के लिए एक परिशिष्ट जारी किया गया है। विभाग 2014-15 के बाद से राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम नामक एक योजना भी लागू कर रहा है जिसमें ग्राम स्तर पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने और दूध परीक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इससे दूध खराब होने में कमी आएगी, गुणवत्ता में सुधार होगा, पारदर्शिता आएगी और दूध उत्पादक का प्रतिलाभ बढ़ेगा। **कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग** "लघु और सीमांत किसानों का समूह बनाने के लिए 10000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन और संवर्धन" पर केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने 29.02.2020 को चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में योजना का शुभारंभ किया। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को एफपीओ के गठन के लिए लगभग 2200 समूह आवंटित किए गए हैं। माननीय कृषि मंत्री ने 26.11.2020 को एनएएफडी के माध्यम से कार्यान्वित पांच विशेष हनी आधारित किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का उद्घाटन किया। • 1000 मंडियां 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के ई-एनएएम के साथ एकीकृत की गई हैं।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
			सरकार ने 5 जून, 2020 को "किसानों के उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020" प्रख्यापित किया है जिसे बाद में अधिनियम में परिवर्तित कर दिया गया है। 20 अक्तूबर, 2020 को नियमों को अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जहाँ किसानों और व्यापारियों को अपनी पसंद के अनुसार किसानों के उत्पाद की बिक्री और खरीद का अवसर मिलता है। यह इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और इससे जुड़े मामलों या इसके प्रासंगिक मामलों के लिए एक सुविधाजनक ढांचा भी प्रदान करता है। अब तक, नाबार्ड द्वारा योजना के तहत 3055 पीएसीएस को 2991 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पीएसीएस ने पोर्टल पर 2754 करोड़ रुपए की ऋण राशि के लिए 37823 आवेदन प्रस्तुत किए हैं। अब तक, पोर्टल पर पीएसीएस के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा 1695 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। जिसमें से 934 करोड़ रुपए के ऋण की मांग करने वाले 964 आवेदनों को पीएमयू द्वारा प्रथम दृष्ट्या योग्य पाया गया और उनहें संबंधित बैंकों को भेज दिया गया है। 964 आवेदनों में से, 235 करोड़ रुपए की ऋण राशि के लिए बैंकों द्वारा 230 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। **मत्स्य-पालन विभाग:** • चरण-।। में 10 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से अतिरिक्त प्रस्ताव के साथ 34 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से 6567.57 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। • सीई, एनएफडीबी के नेतृत्व में परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) ने 2642.38 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है और इसे मत्स्य पालन विभाग (डीओएफ) को अनुमोदित और अग्रेषित कर दिया गया है। इस राशि में 34 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से 915.36 करोड़ रु. का स्वीकार्य केंद्रीय हिस्सा शामिल है। • अठारह (31) राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों (त्रिपुरा, सिक्किम, दमन और दीव, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ को छोड़कर) के प्रस्ताव पर कुल 2267.62 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं जिसमें 772.60 करोड़ रु. का केंद्रीय हिस्सा शामिल हैं और 339.12 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त जारी कर दी गई है। • 2 राज्यों अर्थात् त्रिपुरा और सिक्किम से प्रस्ताव, और 7

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
			राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, अंडमान व निकोबार और लक्षद्वीप के अतिरिक्त प्रस्तावों की कुल लागत 273.72 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्रीय हिस्सेदारी 103.33 करोड़ रुपए है। इसकी एनएफडीबी द्वारा जांच की गई है और इसे जारी करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
7.	23(1)	हम उन राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा पहले से जारी निम्नलिखित मॉडल कानूनों को लागू करती हैं: क) मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 ख) मॉडल कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2017; और ग) मॉडल कृषि उत्पादन और पशुधन अनुबंध खेती और सेवा (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2018. **मंत्रालय/ विभाग: कृषि सहकारिता और किसान कल्याण** **नीति आयोग**	**कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग** 1) हम उन राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा पहले से जारी निम्नलिखित मॉडल कानूनों को लागू करते हैं: क) मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 ख) मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2017, और ग) मॉडल कृषि उत्पादन और पशुधन अनुबंध खेती और सेवा (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2018। मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अधिनियम, 2020 (2020 की संख्या 20) पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते को विधायी विभाग द्वारा 27 सितंबर, 2020 को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते को लागू करने के लिए, कृषि समझौते के दिशानिर्देशों और प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों को संशोधित किया गया है और उन्हें विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसके अलावा, सांविधिक नियमों अर्थात् मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान तर्क (विवाद समाधान) नियम, 2020, में संशोधन जिसे पूर्व में 20 जुलाई, 2020 को अधिसूचित किया गया था, को विधायी विभाग द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में 21 अक्टूबर, 2020 को अधिसूचित किया गया था। इसे विभाग की वेबसाइट में अपलोड किया गया है। **नीति आयोग:** नीति आयोग ने राज्य सरकारों के परामर्श से एक मॉडल भूमि पट्टा अधिनियम-2016 का मसौदा तैयार किया था। प्रस्ताव राज्य सरकारों और भूमि संसाधान विभाग सहित केन्द्रीय मंत्रालयों के परामर्श में विचाराधीन है। कई राज्यों जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने अपने भूमि पट्टा अधिनियमों की समीक्षा/

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
			इनका पुन: निर्धारण करना शुरू कर दिया है। 'मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016' को अपनाने के लिए राज्य सरकारों को जागरूक करने हेतु एक कार्यशाला विचाराधीन है।
8.	23(2)	देश भर में पानी की कमी अब एक गंभीर चिंता का विषय है। हमारी सरकार पानी की कमी वाले एक सौ जिलों के लिए व्यापक उपायों का प्रस्ताव कर रही है। **मंत्रालय/ विभाग: जल संसाधन**	कोविड-19 के कारण इस स्कीम का कार्यान्वयन टल गया है।
9.	23(3)	जुलाई, 2019 में प्रस्तुत अपने बजट भाषण में मैंने कहा था कि "अन्नदाता", "ऊर्जादाता" भी हो सकता है। पीएम-कुसुम स्कीम से डीजल और केरोसिन पर किसानों की निर्भरता समाप्त हुई है और उन्होंने अपने पम्प सेट सौर ऊर्जा से जोड़े हैं। अब, मैं पृथक सौर पम्प स्थापित करने के लिए 20 लाख किसानों को यह सुविधा मुहैया कराने का प्रस्ताव करती हूं; इसके अलावा, हम अन्य 15 लाख किसानों को उनके ग्रिड से जुड़े पम्प सेट को सौर ऊर्जा आधारित बनाने के लिए भी मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त, किसानों को उनकी खाली पड़ी/बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा निर्माण क्षमता स्थापित करने और उसे ग्रिड को बेचने में समर्थ बनाने की स्कीम आरंभ की जाएगी। **मंत्रालय/विभाग: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**	2020-21 के बजट घोषणा में घोषित पीएम-कुसुम योजना के विस्तार का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया और तदनुसार विस्तार का आदेश एमएनआरई द्वारा 04 नवंबर, 2020 को जारी किया गया। इस योजना में किसानों द्वारा उनकी बंजर/ परती/ दलदली/ चरागाह भूमि पर छोटे सौर संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
10.	23(4)	हमारी सरकार पारंपरिक जैविक तथा अन्य नवाचारी उर्वरकों सहित सभी प्रकार के उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देगी। मौजूदा प्रोत्साहन प्रणाली जो रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल को बढ़ावा देती है, में परिवर्तन के लिए यह एक आवश्यक कदम है। **मंत्रालय/विभाग: कृषि सहकारिता और किसान कल्याण**	• 2020-21 के दौरान, उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर किसानों का जागरूकता सृजन करने के लिए ग्रामीण स्तर पर प्रदर्शन और प्रशिक्षण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कार्यकारी समिति (ईसी) ने 98,515 गांवों के लिए 32 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। • अब तक, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किसानों के लिए 44,048 प्रदर्शन और 18,708 प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। सेवापुरी ब्लॉक, जिला वाराणसी में 870 जोत आधारित मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए गए थे। • ईसी ने उद्यमियों, विशेषकर एनआरएलएम समूहों अर्थात् महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 899 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (वीएलएसटीएल) की स्थापना को भी मंजूरी दी है। • 70 नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसटीएल) की स्थापना के अलावा, 11 नए मोबाइल एसटीएल की स्थापना, 76 मौजूदा एसटीएल को सुदृढ़ करने और 2,53,949 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ावा देने की भी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को मंजूरी दी गई है।
11.	23(5)	भारत के पास कृषि भंडारण, शीत गृह, माल ढुलाई वैन की सुविधाओं की 162 मिलियन मीट्रिक टन की अनुमानित क्षमता है। नाबार्ड इन्हें मापने और जिओ टैग करने की कवायद करेगी। इसके अलावा, हम मालगोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के मापदंडों की तर्ज पर मालगोदाम बनाने का प्रस्ताव करते हैं। हमारी सरकार ब्लॉक/ तालुक स्तर पर ऐसे कार्यक्षम मालगोदाम स्थापित करने के लिए	नाबार्ड 26 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए 1.08 लाख एएसआई की पहचान की है। एएसआई की जीओ-टैगिंग का कार्य पूरे जोरों पर है। अभी तक, 82000 एएसआई में सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इन भंडागारों के जीओ-कोओडीनेटों को मोबाइल एप्प में ग्रहण कर लिया गया है, इस रूप को विशेष तौर पर इसी प्रयोजन के लिए तैयार किया गया है है। सत्यापन के बाद आंकड़ों को गूगल मे 4 पर अपलोड किया जाएगा। **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग** पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों और कुछ अन्य राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, झारखंड और केरल में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए गोदामों के निर्माण के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की जा रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा 1,84,175 मीट्रिक टन की कुल क्षमता (एफसीआई द्वारा1,37,680 मी.टन और राज्य सरकारों द्वारा 46,495 मीट्रिक टन क्षमता)

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण मुहैया कराएंगे। इसे वहां हासिल किया जा सकता है, जहां राज्य भूमि की सुविधा दें और राज्य सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉड पर हों। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) अपनी भूमि पर भी ऐसे भांडागार बनाएंगे। **मंत्रालय/विभाग:** **वित्तीय सेवाएँ** **खाद्य और सार्वजनिक वितरण** **आर्थिक कार्य**	सृजित की गई है। इस योजना को 01.04.2017 से 31.03.2022 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। दिनांक 01.04.2017 से 30.11.2020 तक 54,250 मीट्रिक टन (एफसीआई द्वारा 45,870 मीट्रिक टन और राज्य सरकारों द्वारा 8,380 मीट्रिक टन) की कुल क्षमता सृजित की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 54,305 मीट्रिक टन की क्षमता निर्माणाधीन है (एफसीआई द्वारा 30,020 मीट्रिक टन और राज्य सरकारों द्वारा 24,285 मीट्रिक टन) और 26,220 मीट्रिक टन की क्षमता पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और झारखंड में एफसीआई द्वारा निर्माणाधीन है। - कुल 11.25 लाख मी.टन (6 लाख मी.टन राज्य सरकार, 4.75 लाख मी.टन एफसीआई, 0.50 लाख मी.टन सीडब्ल्यूसी) की कुल क्षमता के साइलो का निर्माण एफसीआई/ राज्य सरकारों/ सीडब्ल्यूसी ने अपनी जमीन पर किया है (31.12.2020 के अनुसार)। इनमें से 6 लाख मी.टन की क्षमता राज्य सरकारों द्वारा शुरू और पूरी की गई है। एफसीआई द्वारा 4.75 लाख मी.टन की क्षमता कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें से 0.25 लाख मी.टन कोटकपूरा (पंजाब) में पूरी हुई 4.50 लाख मी.टन का कार्य असम, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में प्रगति पर है, जिसमें से 0.50 लाख मी.टन की क्षमता बोरीवली (महाराष्ट्र) में और नाभा (पंजाब) में 0.50 लाख मी.टन की क्षमता समाप्त कर दी गई है। - सीडब्ल्यूसी ने 2019-20 में कुल 38,100 मीट्रिक टन क्षमता का सृजन किया है। दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में वर्ष 2020-21 के लिए 1,41,797 मीट्रिक टन की कुल क्षमता की योजना बनाई गई है। वर्ष2020-21 (31.12.2020 तक) के दौरान 47747 मीट्रिक टन नई क्षमता का सृजन किया गया है। **आर्थिक कार्य विभाग:** खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ-साथ कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग को पीपीपी मोड में वीजीएफ के लाभ लेने के लिए सूचना दी गई है। यह योजना मांग के अनुसार संचालित है और जब मालगोदाम स्थापित

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
			करने के लिए वीजीएफ के लिए प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय/ विभाग से प्राप्त होगा, तो इस पर मौजूदा प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
12.	23(6)	बैकवर्ड लिंकेज के रूप में, ग्राम भंडार स्कीम स्व-सहायता समूहों द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। इससे किसानों को एक अच्छी धारिता क्षमता मुहैया होगी और उनकी लॉजिस्टिक लागत कम हो जाएगी। महिला, स्व-सहायता समूह अपनी धान्य लक्ष्मी की ओहदे को पुनः प्राप्त करेगी। **मंत्रालय/विभाग: कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण**	कोविड-19 को देखते हुए इस स्कीम को लागू नहीं किया जा सका।
13.	23(7)	दूध, मांस तथा मछली समेत खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक अबाधित राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए भारतीय रेल पीपीपी मॉडल के जरिए "किसान रेल" चलाएगी। एक्सप्रेस/ मालगाड़ियों में रेफ्रिजरेटरकृत कोच होंगे। **मंत्रालय/विभाग:** **पशुपालन और डेयरी** **कृषि सहकारिताऔर किसान कल्याण** **मछली पालन,** **रेल**	**पशुपालन और डेयरी विभाग** रेलवे दूध के टैंकरों की आवश्यकता तथा दूध और दुग्ध उत्पादों के परिवहन के मुद्दे रेलवे बोर्ड के परामर्श के साथ विचाराधाधीन है। **कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग** लॉकडाउन अवधि के दौरान स्पेशल पार्सल में ट्रेनों के संचालन से प्राप्त अनुभव के आधार पर, भारतीय रेल ने 10 मार्गों पर खराब हो रहे बागवानी/ कृषि उत्पादों, डेयरी, मत्स्य पालन के लिए किसान विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। यह निर्णय लिया गया है कि रेलवे बोर्ड इन 10 मार्गों के आस-पास के फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे जैसे शीत भंडारण और गोदामों आदि की स्थापना के लिए इन 10 मार्गों के आसपास के क्षेत्र में रेलवे की खाली भूमि का मार्ग-वार ब्यौरा उपलब्ध कराएगा। इन 10 ओडी के आसपास ट्रेनों के ठहराव के लिए एआईएफ फंड का उपयोग किया जाएगा।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
			मत्स्य पालन विभाग: यह पहल डीएसी एंड एफडब्ल्यू और रेलवे मंत्रालय के दायरे में आती है। इस संबंध में दो क्षेत्रों हेतु प्रारंभ में मछली के परिवहन के लिए किसान रेल पर एक व्यवहारिकअध्ययन विचाराधीन है। (i) विजयवाड़ा- (या आस-पास के शहर) -हावड़ा-गुवाहाटी, सिलचर मुख्य रूप से अंतर्देशीय मत्स्य-पालन करते हैं। (ii) विजयवाड़ा- (या आसपास के शहर) -नैल्लोर-चेन्नई-कोच्चि मुख्य रूप से समुद्री मत्स्य-पालन करते हैं। **रेल मंत्रालय** किसान रेल परियोजना के तहत, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के कृषि/ पशुपालन/ मत्स्य विभागों के परामर्श से सब्जियों, फलों और अन्य नष्ट होने वाली वस्तुओं की आवाजाही के लिए संभावित सर्किट की पहचान की जा रही है। अब तक, निम्नलिखित मार्गों पर सेवाएं चालू हो गई हैं - (1) देवलाली-दानापुर -00107/00109 (अब सांगोला से मुजफ्फरपुर तक चल रही है) - 07 अगस्त 20, (2) अनंतपुर से आदर्श नगर- 0784 - 09 सितंबर 20, (3) यशवंतपुर से निज़ामुद्दीन- 00625-19 सितंबर 20, (4) नागपुर से आदर्श नगर- 00101 - 14 अक्टूबर 20, (5) छिंदवाड़ा से हावड़ा- 00883 - 28 अक्टूबर 20, (6) संगोला से हावड़ा तक - 00121 - 29 अक्टूबर 20, (7) सांगोला से शालीमार - 00123 - 21 नवंबर 20, (8) इंदौर से नई गुवाहाटी - 00907 - 24 नवंबर 20, (9) रतलाम से नई गुवाहाटी - 00969 - 05 दिसंबर 20, (10) इंदौर से अगरतला - 27 दिसम्बर 20. अधिसूचित फलों और सब्जियों को किसान रेल सेवाओं से ले जाने पर मालभाड़ा में 50% सब्सिडी दी जा रही है (जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है)। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक28.12.2020 को100वीं किसान रेल सेवा (सांगोला से शालीमार तक) को हरी झंडी दिखाई गई।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
14.	23(8)	नागर विमानन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान की शुरुआत करेगा। इससे विशेष रूप से पूर्वोत्तर तथा जनजातीय जिलों में मूल्य प्राप्ति में सुधार करने में अत्यधिक मदद मिलेगी। **मंत्रालय/विभाग: नागर विमानन**	कृषि उड़ान 10.09.2020 को स्वीकृत की गई। इस योजना में मूल रूप से निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है: हवाई मार्ग से कृषि-नष्ट होने वाली वस्तुओं की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की सुविधा की परिकल्पना की गई है। इसेबागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और प्रसंस्कृत कृषि-उत्पादों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं के साथ तालमेल बनाकर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कृषि उड़ान(शीर्ष से कुल) और ऑपरेशन ग्रीन (शीर्ष से कुल) योजना के बीच सामंजस्य स्थापित किया गया है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के बागवानी उत्पादों की माल ढुलाई दरों पर सब्सिडी दी गई है। भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए परिवहन और विपणन सहायता योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से उनकी योजनाओं के तहत जनजातीय कृषीय उत्पादों के परिवहन के लिए प्रोत्साहनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
15.	23(9)	बागबानी क्षेत्र ने 311 मिलियन मीट्रिक टन के अपने वर्तमान उत्पाद के चलते खाद्यान्नों के उत्पाद को पीछे छोड़ दिया है। बेहतर विपणन और निर्यात के लिए, हम उन राज्यों को सहायता देने का प्रस्ताव करते हैं जो क्लस्टर आधार अपनाते हुए "एक उत्पाद एक जिला" पर फोकस करेंगे। **मंत्रालय/विभाग: कृषि सहकारिता और किसान कल्याण**	"एक उत्पाद एक जिला" के सूची को अंतिम रूप देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ परामर्श किया जा रहा है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
16.	23(10)	वर्षा सिंचित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। गैर-फसल मौसममें बहुस्तरीय पैदावार, मधुमक्खी पालन, सौर पम्प, सौर ऊर्जा निर्माण को शामिल किया जाएगा। जीरो बजट प्राकृतिक कृषि (जिसका जुलाई 2019 के बजट में उल्लेख किया गया था) को भी शामिल किया जाएगा। "जैविक खेती" पर पोर्टल-ऑनलाइन राष्ट्रीय जैविक उत्पादन बाजार को भी सुदृढ़ किया जाएगा। **मंत्रालय/विभाग: कृषि सहकारिता और किसान कल्याण**	2020-21 के दौरान दिसंबर2020 तक, लगभग 0.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को एकीकृत फ्रेमिंग प्रणाली के तहत लाया गया है और शेष लक्षित क्षेत्र को अगली पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा किया जाएगा। मधुमक्खी पालन/ एनबीएचएम की स्थिति: • केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में संशोधित राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) के लिए। • 2013-14 में मधुमक्खी कालोनियां लगभग 20.00 लाख से बढ़कर 2019-20 में 36.00 लाख हो गई। • शहद का उत्पादन 76,150 मीट्रिक टन (मी.टन) (2013-14) से बढ़कर 1,20,000 मीट्रिक टन (2019-20) हो गया। • शहद निर्यात 28378.42 मीट्रिक टन (2013-14) से बढ़कर 59536.74 मीट्रिक टन (2019-20) हो गया। 2018-19 के दौरान 61333 मीट्रिक टन निर्यात किया गया। • आत्म निर्भर भारत घोषणा के तहत संशोधित राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहदमिशन (एनबीएचएम)नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना को 'मधु क्रांति' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में मधुमक्खी पालन के वैज्ञानिक समग्र संवर्धन और विकास हेतु 3 वर्षों (2020-21 से 2022-23) के लिए 500.00 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। 3 मिनी मिशन (एमएम-I, II और III) के तहत आरएंडडी सहित बुनियादी ढांचे पर मुख्य बल दिया जा रहा है। • एक शहद जांच प्रयोगशाला की स्थापना। • मधुमक्खी पालकों के 5 एफपीओ शुरू किए गए। • 16 एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (आईबीडीसी) की रोल मॉडल के रूप में स्थापना। • वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षित 30,000 से अधिक किसान/ मधुमक्खी पालनकर्ता को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें उच्च मूल्य वाले मधुमक्खी उत्पादों का उत्पादन शामिल है, अर्थात मधुमक्खी पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, मधुमक्खी विष, आदि। • एनबीएचएम के तहत 2560.21 लाख रुपए की कुल सहायता के लिए 11 परियोजनाओ को मंजूरी दी गई है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
			अब तक बीपीकेपी परियोजना के लिया प्रस्ताव निम्नलिखित राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ को निधियां जारी की गई हैं। ओडिशा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश को निधियां जारी की प्रक्रिया चल रही हैं। **कुल 3.58 लाख किसानों ने जैविक खेती पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।**
17.	23(11)	निगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट (ई-एनडब्ल्यूआर) पर किया जाने वाला वित्तपोषण 6000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसे ई-नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा। **मंत्रालय/विभाग:कृषि सहकारिता और किसान कल्याण**	कार्य पूरा हो चुका है। दिनांक 02 अप्रैल, 2020 से शुरू हो चुका है।
18.	23(12)	गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) कृषि ऋण के क्षेत्र में सक्रिय हैं। नाबार्ड की पुनःवित्तपोषण स्कीम का विस्तार किया जाएगा। वर्ष 2020-21 के लिए कृषिगत ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री-किसान के सभी पात्र लाभार्थियों को केसीसी स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। **मंत्रालय/विभाग: वित्तीय सेवाएं**	(i) आरआरबी सहकारी बैंकों/ एनबीएफसी-एमएफआई को इन ग्रामीण वित्तीय संस्थानों के ऋण संसाधनों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पुनर्वित्त के रूप में 30,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा (एसएलएफ) नाबार्ड के माध्यम से प्रदान की गई है। (ii) 30.10.2020 तक, इस विशेष सुविधा में से 25,000 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। (iii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड को छोटे एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई के लिए एसएलएफ के तहत 5000 करोड़ रुपए की शेष राशि आवंटित की गई है। (iv) नाबार्ड द्वारा 6 एनबीएफसी-एमएफआई को 690 करोड़ रुपए के प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है। इसमें से 130 करोड़ का वितरण 4.12.2020 तक किया जा चुका है। 2020-21 के लिए क्षेत्र-वार, एजेंसी-वार और उद्देश्य-वार कृषि ऋण लक्ष्य आरबीआई, नाबार्ड, आईबीए और पीएसबी को सूचित कर दिया गया है। इस अभियान के शुरू होने के बाद से 4.12.2020 तक पीएम-किसान लाभार्थियों सहित किसानों को 169.77 लाख केसीसी जारी किए गए हैं।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
19.	23(13)	हमारी सरकार वर्ष 2025 तक मवेशियों के खुर और मुंह में होनेवाली बीमारी ब्रूसिलोसिस तथा भेड़ और बकरियों को लेने वाले पेस्टे पेटिस रुमिनेंट(पीपीआर) नामक बीमारी को खत्म करने की मंशा रखती है। कृत्रिम गर्भाधान का कवरेज वर्तमान 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाएगा। मनरेगा को चारागार के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, हम 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से दुगुना करके 108 मिलियन मीट्रिक टन करेंगे। **मंत्रालय/विभाग: पशुपालन और डेयरी ग्रामीण विकास**	एनएडीसीपी के तहत, 30.33 करोड़ मवेशियों और भैंस के कुल लक्ष्य के खिलाफ, कुल जानवरों का टीकाकरण और टैग लगाया गया है, जो अब तक क्रमशः 16.35 करोड़ और 16.14 करोड़ हैं। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनएआईपी) चरण II को चुने गए 604 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें 50% से कम कृत्रिम गर्भाधान (एआई) कवरेज शामिल हैं। यह सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता प्राप्त करने के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले बैल के वीर्य के साथ एआई के माध्यम से गोजातीय के आनुवंशिक उन्नयन हेतु एक अभियान मोड कार्यक्रम है। दिनांक 04.01.2021 तक, 34 लाख गोजातियों को कवर किया गया है और 28 लाख किसानों को कार्यक्रम के तहत लाभ मिला है। डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना के विस्तार से संबंधित मामलों को समाधान संबंधित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की लागत से **पशुपालन अवसंरचना निधि** स्थापित की गई है। **ग्रामीण विकास विभाग:** 20.06.2020 को संयुक्त अभिसरणनिर्देश जारी किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक चारा खेती (सिल्वी चारागाह विकास) से संबंधित कुल 8375 कार्य पूरे हो चुके हैं और कुल 17124 कार्य चल रहे हैं।
20.	23(14)	ब्लूइकोनॉमी: हमारी सरकार समुद्री मत्स्य संसाधनों के विकास, प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है। **मंत्रालय/ विभाग: मत्स्य पालन**	भारतीय समुद्री मत्स्य-पालन (विकास एवं प्रबंधन) विधेयक, 2021 पर प्रस्ताव विचाराधीन है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
21.	23(15)	तटीय क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को मत्स्य प्रसंस्करण और विपणन के जरिए लाभ मिलता है। वर्ष 2022-23 तक, मैं मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन कराने का प्रस्ताव करती हूं। शैवाल, समुद्री खरपतवार उगाने तथा केज कल्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। **मंत्रालय/ विभाग: मत्स्य पालन**	**वाणिज्य विभाग** i) बजट घोषणा के अनुसार, एमपीईडीए/ डीओसीने मत्स्य पालन विभाग (डीओएफ) के साथ मिलकर एक निर्यात कार्यनीति तैयार की है, जिसमें निर्यात की जाने वाली प्रजातियों का उत्पादन बढ़ाना, कोल्ड चेन और मत्स्य-पालन अवसंरचना विकसित करना, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्य संवर्धन और बाजार संवर्धन शामिल है। ii) राज्यों में वार्षिक उपलब्धियों और लक्ष्यों की रूपरेखा बनाने के साथ-साथ निर्यात को दोगुना करने तथा एक संयुक्त कार्यनीति बनाने के लिए हितधारकों के साथ सितंबर 2020 में डीओसी और डीओएफ के सचिवों की एक संयुक्त बैठक हुई। डीओएफ ने उत्पादन, गुणवत्ता आश्वासन और पीएमएमएसवाई और विश्व बैंक योजनाओं के तहत मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचा घटकों को शामिल किया है। iii) एमपीईडीए निर्यात बाजारों के विस्तार और गैर-टैरिफ बाधाओं (एनटीबी) की चुनौतियों की समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है; • जापान ने लंबी अवधि के बाद, ब्लैक टाइगर झींगा की खेप पर निर्यात निरीक्षण को 100% से घटाकर 30% तक सीमित कर दिया है। • यूरोपीय संघ की ओर से लगातार बातचीत के आधार पर, समुद्र से पकड़े गए उत्पादों के निर्यात के लिए 23 नई इकाइयों को सूचीबद्ध किया गया है। जलीय जीव उत्पादों की अनुमति के लिए यूरोपीय संघ के साथ भी बातचीत की जा रही है। • डब्ल्यूएसएसवी और आईएचएचएन वायरस के कारण 12 भारतीय प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध हटाने के लिए डीओसी/ एमपीईडीए चीन के साथ बातचीत कर रहे हैं। • डीओसी/ एमपीईडीए रूस के साथ उन भारतीय उद्यमों को मंजूरी प्रदान करने के लिए बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने एफएसवीपीएस अनुमोदन के लिए आवेदन किया था। • एमपीईडीए प्रमुख बाजारों के साथ क्रेता-विक्रेता की बैठकें और वेबिनार आयोजित कर रहा है, जिसमें निर्यातक और खरीदार अपने संभावित व्यापार अवसरों की पहचान कर सकते हैं।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
			• डीओसी/ एमपीईडीए कछुए के संरक्षण पर यूएस पब्लिक कानून की धारा 609 के तहत यूएसएनओएए के साथ बातचीत कर रही है, ताकि वाइल्ड कोट झींगा पर निर्यात प्रतिबंध हटाया जा सके। iv) प्रजाति विविधीकरण - एमपीईडीए ने तिलापिया, सीबास, स्कम्पी, मड क्रैब आदि जैसी फिन मछलियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस्मों में विविधता लाने हेतु तकनीक विकसित की है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इसका उपयोग करने के लिए हितधारकों को संवेदनशील बनाएं। v) एमपीईडीए ने झींगा पकड़ने के लिए 'शफारी' नामकएक प्रमाणन योजना शुरू की है, और दिशानिर्देश का मसौदा तैयार किया जा रहा है। vii) एमपीईडीए ने भारत में संपूर्ण समुद्री भोजन क्षेत्र के लिए एक कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसमें भारत में पूरे क्षेत्र में लागू सुरक्षा सावधानियों पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन खरीदारों और उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया गया है। **मत्स्य पालन विभाग;** • पीएमएमएसवाई ने 2024-25 तक मछली उत्पादन को बढ़ाकर 220 लाख टन करने की परिकल्पना की है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के परामर्श से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उत्पादन लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया है। • पीएमएमएसवाई के तहत कुल 4,784 पिंजरों (जलाशयों और खुले समुद्र) को मंजूरी दी गई है। • पीएमएमएसवाई के तहत अगले 5 वर्षों के लिए 10.6 लाख टन समुद्री शैवाल का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। समुद्री शैवाल की खेती और विपणन को बढ़ावा देने के लिए कार्य-योजना का मसौदा तैयार किया गया है। अब तक, पीएमएमएसवाई के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए 15,000 राफ्ट और 1331 मोनालाइन हेतु अनुमोदन दिया गया है। • अब तक कुल 1,997 सागरमित्रों को मंजूरी दी गई है। • डीओएफ 2024-25 तक निर्यात को दोगुना करने के लिए वाणिज्य विभाग के सहयोग से एक कार्यनीति पर काम कर रहा है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
			• 500 एफएफपीओ को शुरू करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - वार कार्य-योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे एमसीडीसी के समन्वय से लागू किया जा रहा है। डीओएफ द्वारा एफएफपीओ के निर्माण/ कार्यान्वयन के दिशानिर्देशों के मसौदे को अंतिम रूपदिया जा रहा है। मत्स्य विभाग ने पूर्ववर्ती ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम के तहत एसएफएसी के माध्यम से 5 एफएफपीओएस के निर्माण के लिए भी स्वीकृति दी है।
22.	23(16)	गरीबी उपशमन के लिए दीन दयाल अन्त्योदय योजना के तहत58 लाख स्व-सहायता समूह (एसएचजी) बनाए गए हैं। हम एसएचजी का विस्तार करेंगे। **मंत्रालय/विभाग:आवासन और शहरी कार्य**	31.12.2020 तक, 53 लाख से अधिक सदस्यों के साथ 5.16 लाख एसएचजी का गठन किया गया है।
23.	26(1)	पीपीपी मॉडल के तहत अस्पतालों की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण विंडो स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है। प्रथम चरण में, उन आकांक्षी जिलों को शामिल किया जाएगा जहां इस समय आयुष्मान से पैनलबद्ध अस्पताल नहीं हैं। इससे युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। मेडिकल उपकरणों पर करों से प्राप्त राशियों को इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अवसंरचना की सहायता में प्रयुक्त किया जाएगा। **मंत्रालय/विभाग: आर्थिक कार्य**	पीपीएफ मोड में अस्पताल स्थापित करने के लिए वीजीएफ विंडो के रूप में उपलब्ध अधिक क्षमता अंतराल निधियन का लाभ उठाने के लिए एमआईएचएफडब्ल्यू को सूचित किया गया है। यह योजना मांग के अनुसार चलाई जाती है। गोदामों की स्थापना के लिए वीजीएफ के लिए प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय/ विभाग से प्राप्त हो रहे है। यह प्रक्रियाधीन है। इस दौरान, 11.11.2020 को आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्र और राज्य/ सांविधिक निकायों द्वारा वीजीएफ के रूप में कुल परियोजना लागत की मात्रा को 30% तक बढ़ाने के साथ सामाजिक क्षेत्र में वीजीएफ सहायताको मंजूरी दी। अन्य क्षेत्रों के लिए, वीजीएफ को जीओआई और राज्यों/ सांविधिक निकायों से प्रत्येक में 20% की मौजूदा सहायता दी जाती रहेगी।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
24.	26(2)	मशीन लर्निंग और कृत्रिम बौद्धिकताका प्रयोग करते हुए आयुष्मान भारत स्कीम में, स्वास्थ्य प्राधिकारी और चिकित्सक समाज उचित डिजाइन वाली निवारक प्रणाली से बीमारियों का पता लगा सकते हैं। **मंत्रालय/विभाग: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**	वर्तमान में कृत्रिम बौद्धिकता/ मशीन लर्निंग तकनीक/ मॉडलों का उपयोग एनएचए की राष्ट्रीयएंटी-फ्रॉड यूनिट द्वारा किया जा रहा है: • अस्पष्ट तर्क • पर्यवेक्षित/ गैर-पर्यवेक्षित जोखिम स्कोरिंग मॉडल • तटस्थनेटवर्क • सामाजिक नेटवर्क विश्लेषण • छवि विश्लेषण • समूह और समकक्ष विश्लेषण एबी-पीएमजेएवाई के तहत कृत्रिम बौद्धिकता/ मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकियों को निम्नलिखित क्षेत्रों में तैनात करने की योजना है- (i) रोग निदान: एआई/ एमएल आधारित ट्रिगर के साथ उचित उपचार और नैदानिक निर्णय सहायताप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए एआई/ एमएल आधारित मानक उपचार कार्यप्रवाह प्रणाली (ii)) धोखाधड़ी की रोकथाम: धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम के लिए मशीन लर्निंग और कृत्रिम बौद्धिकता आधारित मॉडल विकसित करना।
25.	27	"टी.बी. हारेगा देश जीतेगा" अभियान शुरु किया गया है। मैं 2025 तक टी.बी. समाप्त करने की हमारी प्रतिबद्धता की पूर्ति के प्रयासों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव करती हैं। **मंत्रालय/विभाग: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**	माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने टी.बी. हारेगा देश जीतेगा अभियान के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों/ उपराज्यपालों को पत्र लिखा है। 1. टीबी कार्यक्रम की समीक्षा के लिए दिसंबर, 2020 तक 13 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपालों/ उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों/ उप-मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों की अध्यक्षता में कुल 30 बैठकें आयोजित की गईं। 10 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही 2025 तक टीबी खत्म करने के लिए राज्य/ केंद्रशासित विशिष्ट कार्य-योजना बनाई है। 2. माननीय केंद्रीय मंत्री ने सभी माननीय संसद सदस्यों को अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में टीबी नियंत्रण प्रयासों के लिए नेतृत्व प्रदान करने का भी अनुरोध किया है। 3. वर्ष 2020 में कुल 17,65,840 टीबी मामलों को अधिसूचित किया गया है (31/12/2020) जिसमें से 5,38,414 टीबी मामले निजी क्षेत्र द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
			4. आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की गतिविधियों के भाग के रूप में टीबी स्क्रीनिंग को समुदाय आधारित मूल्यांकन जांच-सूची(सीबीएसी) में शामिल किया गया है। 5. बहु-क्षेत्रीय कार्य के भाग के रूप में आयुष, रक्षा और रेल मंत्रालयों के साथ समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सात अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ समझौता-ज्ञापन किया जा रहा है। कोविड-19 की स्थिति और इसके कारण लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों दिशा निर्देशजारी किए हैं ताकि अधिसूचित टीबी रोगियों का उपचार प्रभावित न हो और लॉकडाउन अवधि के दौरान भी नए मामलों का पता लगाना जारी रखा जाए।
26.	28	मैं 2024 तक सभी जिलों में 1000 केंद्र स्थापित करते हुए 2000 औषधियों तथा 300 सर्जिकल कीपेशकश करते हुए जन औषधि केंद्र स्कीम का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूं। मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के लिए 6400 करोड़ रुपए हैं। **मंत्रालय/विभाग: औषध विभाग**	सभी जिलों को कवर करना: देश के सभी 734 जिलों को कवर किया गया है। उत्पाद बॉस्केट-दवाइयाँ: जनऔषधि योजना के तहत दी जाने वाली दवाओं की संख्या वर्तमान में 900 से बढ़ाकर मार्च, 2024 तक 2000 कर दी जाएगी। वर्ष2020-21 के लिए वार्षिक लक्ष्य 200 (संचयी 1400) निर्धारित किया गया है। अब तक जनऔषधि योजना के तहत दी जाने वाली दवाओं की संख्या को 1449 तक बढ़ा दिया गया है। उत्पाद बॉस्केट-सर्जिकल मदें: जनऔषधि योजना के तहत दी जाने वाली सर्जिकल की संख्या वर्तमान में 154 से बढ़ाकर मार्च, 2024 तक 300 कर दी जाएगी। 2020-21 के लिए वार्षिक लक्ष्य 20 निर्धारित किया गया है। (संचयी 220)। अब तक, जनऔषधि योजना के तहत प्रस्तावित सर्जिकल की संख्या को 204 तक बढ़ा दिया गया है। नए 16 सर्जिकल की खरीद के लिए निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
27.	29	हमारी सरकार ओडीएफ प्लस के प्रति वचनबद्ध है ताकि ओडीएफ व्यवहार बनाए रखा जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पीछे छूट न जाए। अब तरल और जल प्रबंधन की दिशा में कार्य किए जाने की और अधिक जरूरत है। कचरा इकट्ठा करने, इकट्ठा करने की जगह पर ही कचरे को अलग-अलग करने और उसको संसाधित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कुल लगभग 12,300 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। **मंत्रालय/विभाग:** **पेयजल और स्वच्छता, आवासन और शहरी कार्य**	**पेयजल और स्वच्छता विभाग** एसबीएम (ग्रामीण) के लिए संशोधित प्राक्कलन में, इस आवंटन को 6,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ओडीएफ स्थिरता तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पीछे न रह जाए, मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी 2020 को एसबीएम-जी के चरण-II को मंजूरी दे दी है, जिसे2020-21 से 2024-25 तक लागू किया जाएगा। 22.5.2020 को एसबीएम(जी) चरण-II के परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद, 2020-21 के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं (एआईपी) को डीडीडब्ल्यूएस द्वारा अनुमोदित किया गया था। 2020-21 के दौरान 31.12.2020 तक 41.61 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया है। 70,929 सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा 2020-21 के दौरान 31.12.2020 तक 31,560 सीएससी का कार्य चल रहा है। 31.12.2020 तक 4189.04 करोड़ रुपए की धनराशि का उपयोग किया गया है। **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** स्वच्छ भारत मिशन को जारी रखने के लिए ईएफसी की बैठक 17/12/2020 को आयोजित की गई है और ईएफसी ने इसके लिए वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की पांच वर्ष की अवधि की सिफारिश की है, जिसका कुल सांकेतिक परिव्यय 1,41,678 करोड़ रुपए है। मामले पर आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
28.	30	सभी घरों को पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति करने के लक्ष्य से, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। हमारी सरकार ने इस मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ का अनुमोदन किया है। यह मिशन स्थानीय जल स्रोतों, मौजूदा स्रोतों को पुनःपोषित पर भी बल देता है और जल संचयन तथा विलवणीकरण को बढ़ावा देगा। वे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, उन्हें चालू वर्ष में ही इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 2020-21 के दौरान इस स्कीम को 11,500 करोड़ रुपए के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। महत्त्वाकांक्षी भारत के अंतर्गत शिक्षा और कौशल तीसरी और अंतिम मद है। **मंत्रालय/ विभाग:** **पेयजल और स्वच्छता**	वित्त वर्ष 2020-21 में, जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए जेबीएस (आरई) के रूप में 11,000 करोड़ रुपए और ईबीआर के रूप में 12,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटन किया गया है और 6,189.65 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है। राज्यों द्वारा सूचित अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में 30.12.2020 तक लगभग 2.14 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इन प्रयासों के साथ, राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा सूचित अनुसार पिछले 15 महीनों में, महामारी के बावजूद, 2.99 करोड़ घरों में टैप वॉटर कनेक्शन दिया गया है और वर्तमान में 6.21 करोड़ (32.45%) घरों में टैप वॉटर कनेक्शन हैं। आज की तारीख में, देश के 26 जिले अर्थात् गुजरात (5), तेलंगाना (10), हिमाचल प्रदेश (2), जम्मू और कश्मीर (2), गोवा (2), हरियाणा (2) और पंजाब (3) 'हर घर जल जिले' बन गए हैं। इसी प्रकार, 448 ब्लॉक, 34,616 ग्राम पंचायतें, 65,081 गाँव भी क्रमशः 'हर घर जल ब्लॉक','हर घर जल पंचायत'और 'हर घर जल गाँव' बन गए हैं। गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जहां100% घरों में टैप वॉटर कनेक्शन है अर्थात् 'हर घर जल राज्य' है।
29.	31	2030 तक, भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु वर्ग की सबसे बड़ी आबादी होगी। उनके लिए न सिर्फ साक्षरता आवश्यक है बल्कि उनको रोजगार व जीवन कौशल की भी जरूरत है। इस संबंध में राज्य के शिक्षा मंत्रियों, संसद सदस्यों	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा 29.07.2020 को की गई है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		और अन्य हितधारकों के साथ शिक्षा नीति पर चर्चाएं की गई हैं। 2 लाख से अधिक सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द की जाएगी। **मंत्रालय/विभाग: उच्चतर शिक्षा**	
30.	32	यह महसूस किया गया कि हमारी शिक्षा प्रणाली को प्रतिभाशाली शिक्षकों, अभिनव परिवर्तन, बेहतर प्रयोगशालाओं की और अधिक आवश्यकता है और इसके लिए जाहिर है अधिक पैसों की आवश्यकता है। विदेशी वाणिज्यिक ऋणों, कार्मिक और यहां तक कि एफडीआई सोर्सिंग को समर्थकारी बनाने के कदम उठाए जाएंगे ताकि अधिक गुणता वाली शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। **मंत्रालय/विभाग: उच्चतर शिक्षा**	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने तथा दोहरी डिग्री, संयुक्त डिग्री और ट्विनिंग कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करने के लिए 2016 के मौजूदा विनियमों और दिशानिर्देशों में आवश्यक परिवर्तनों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति ने दो बैठकें की हैं और इस संबंध में नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) भारतीय संस्थानों में विदेशी संस्थानों द्वारा सेंटर ऑफ एमिनेंस की स्थापना के बारे में एक विस्तृत नोट तैयारकर रहा है। एनईपी 2020 के तहत भारत में शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को संचालित करने की अनुमति दी जा रही है। यूजीसी समिति इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने के मुद्दे की जांच कर रही है।
31.	33	सामान्य स्ट्रीम (सेवाओं या प्रौद्योगिकी स्ट्रीम की तुलना में) के विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि उनकी रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में सुधार आए। मार्च 2021 तक लगभग 150 उच्चतर शैक्षणिक संस्थान शिक्षुता संबद्ध डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ कर देंगे। **मंत्रालय/विभाग: उच्चतर शिक्षा**	• यह निर्णय लिया गया कि यूजीसी सामान्य डिग्री कार्यक्रमों के साथ शिक्षुता से संबद्ध एक विनियम तैयार करेगा। • यूजीसी ने एचईआई, उद्योग और क्षेत्र कौशल परिषदों में विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करके उच्च शिक्षा संस्थानों के दिशानिर्देश बनाए हैं, जो प्रशिक्षुता/ इंटर्नशिप संबद्ध डिग्री कार्यक्रम का प्रस्ताव करते हैं, इसे आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। • मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूजीसी दिशानिर्देशों को 7 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिवर्तनकारी सुधार सम्मेलन के अवसर पर जारी किया गया था।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
32.	34	सरकार प्रस्ताव करती है कि एक ऐसा कार्यक्रम आरंभ किया जाए जिसके द्वारा देशभर के शहरी स्थानीय निकाय एक वर्ष की अवधि के लिए नए इंजीनियरों को प्रशिक्षु अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। **मंत्रालय/विभाग: आवासन और शहरी कार्य**	बजट में की गई घोषणा 4 जून, 2020 को ट्युलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ ही पूरी हो गई। तथापि, दिसंबर, 2020 तक 13,000 से अधिक इंटर्नशिप को स्मार्ट शहरों/ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तैनात किया गया है, जिसमें से 827 इंटर्नशिप चल रही है और 84 इंटर्नशिप पहले ही पूरी हो चुकी हैं।
33.	35	समाज के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों तथा साथ ही जिनके पास उच्चतर शिक्षा की पहुंच नहीं है उनको गुणता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, डिग्री स्तर का संपूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। यह शिक्षा कार्यक्रम केवल उन्हीं संस्थानों में उपलब्ध होगा जो राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग रूपरेखा में शीर्ष 100 में आते हैं। शुरुआत में, ऐसे कुछ ही संस्थानों से इन कार्यक्रमों की पेशकश की जाएगी। **मंत्रालय/विभाग: उच्चतर शिक्षा**	ई-विद्या -उच्चतर शिक्षा: यूजीसी की पूर्ण आयोग की बैठक 29 मई, 2020 को आयोजित की गई थी। इसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए: उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को एनआईआरएफ में शीर्ष 100 में स्थान दिया गया या 3.26 का एनएएसी स्कोर यूजीसी की पूर्व स्वीकृति के बिना ऑनलाइन कार्यक्रम प्रदान करने के लिए है। 3.01 से 3.25 के बीच एनएएसी स्कोर वाले संस्थानों को यूजीसी की पूर्व स्वीकृति के साथ ऑनलाइन कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी। पारंपरिक पाठ्यक्रमों के लिए, यूजीसी ने तय किया है कि नियमित पाठ्यक्रम कार्यक्रमों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री की सीमा 20% से बढ़ाकर 40% तक की जाए। उपरोक्त प्रावधानों को प्रभावित करने वाला विनियम जारी किया गया है। वर्तमान में 7 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन पूर्ण डिग्री/ डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करने की अनुमति है। नए विनियामक परिवर्तनों के साथ, ऑनलाइन मोड में कार्यक्रमों का प्रस्ताव करने के लिए पात्र एचईआई की संख्या बढ़कर 239 और ओडीएल मोड में 204 तक बढ़ने की संभावना है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
34.	36	भारत उच्चतर शिक्षा के लिए पसंदीदा गन्तव्य होना चाहिए। इसलिए, अपने "स्टडी इन इंडिया "कार्यक्रम के अंतर्गत, एशियाई और अफ्रीकी देशों में इन्ड-सैट आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसका उपयोग उन विदेशी अभ्यर्थियों की बेंचमार्किंग के लिए किया जाएगा। जिन्हें भारतीय उच्चतर शिक्षा केन्द्रों अध्ययनरत रहने के लिए छात्रवृत्तियां मिलती हैं। **मंत्रालय/विभाग: उच्चतर शिक्षा**	भारत एसएटी परीक्षा 22 जुलाई, 2020 को संपन्न हुई थी
35.	37	पुलिस विज्ञान, न्यायिक विज्ञान और साईबर-न्यायिक विज्ञान आदि के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव किया जा रहा है। **मंत्रालय/विभाग: गृह मंत्रालय**	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्याल (राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालयों और राषट्रीय फोरेंसिक (अनुसंधान) विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और दोनों विश्वविद्यालय 01 अक्तूबर, 2020 से प्रचालन प्रारंभ कर चुके हैं।
36.	38(1)	यह प्रस्ताव किया जाता है कि पीपीपी मोड में विद्यमान जिला हस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज को जोड़ दिया जाए। वे राज्य जो अपने **हस्पतालों** की सुविधाएं मंडिकल कॉलेज को उपलब्ध कराते हैं और जिनकी रियायत देकर भूमि	वीजीएफ योजना में 20 जुलाई, 2020 की अधिसूचना के द्वारा संशोधन किया गया है जिसमें प्रावधान है कि जिन राज्यों में भूमि रियायत दर पर दी जाएगी वहां मौजूदा जिला अस्पताल से जोड़े जाने वाले पीपीपी मेडिकल कावेज को वीजीएफ प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और सभी राज्यों को सूचना दे दी गई है। यह योजना मांग पर आधारित है जैसे ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए वीजीएफ के लिए प्रस्ताव प्राप्त होगा इसको

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		उपलब्ध कराने की मंशा है, वे केन्द्र सरकार से पूंजी लागत के 20 प्रतिशत तक की व्यवहार्यता अंतर निधियन प्राप्त कर सकते हैं। **मंत्रालय/विभाग:आर्थिक कार्य**	योजना के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया में कर दिया जाएगा।
37.	38(2)	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हताएं; डिप्लोमा और राष्ट्रीय बोर्ड (डीएनबीएफएनबी/) की अध्येता प्रदान करता है। अंतः सरकार पर्याप्त क्षमता वाले बड़े हस्पतालों को अपने यहां आवासीय डीएनबीएफएनबी/पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अंतर्गत प्रोत्साहित करेगी। **मंत्रालय/विभाग: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण**	देश में स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से डीएनबी के तेजी से विस्तार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड को अनिवार्य बना दिया है। दिनांक 06.08.2020 की अधिसूचना के द्वारा मंत्रालय ने एनबीई के 8 नए डिप्लोमा कार्यक्रम को मान्यता दे दी है। डीएनबी विद्यार्थियों को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव पर विचार चल रहा है।
38.	39	विदेश में शिक्षकों नर्सों, चिकित्सा सहायक कर्मचारियों और देखभाल करने वालों की अत्यधिक मांग है। हालांकि, कई बार उनका कौशल नियोजक के मानकों पर खरा नहीं उतरता है और इसलिए उनके कौशल को बेहतर किए जाने की जरूरत है। मैं प्रस्ताव करती हूं कि स्वास्थ्य, मानव संसाधन, कौशल विकास मंत्रालय व्यावसायिक निकायों के साथ मिलकर विशेष ब्रिज	**कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय** (1) 15 दिसम्बर, 2020 को एचईई (स्वास्थ्य शिक्षा इग्लैंड) यूके और अन्य आवश्यक प्राधिकारियों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य कर्तव्य का खाका तैयार करने पर विचार करने के लिए विडियो कॉन्फेंसिंग हुई थी। (2) इस संबंध में विभिन्न देशों की विनियामक प्राधिकारियों एवं रोजगार एजेंसियों के साथ पत्राचार करने के लिए पत्र/ई-मेल और पत्राचार किया जा रहा है। (3) शेयरधारकों (विभिन्न देशों के) साथ स्वास्थ्य क्षेत्र कार्य कर्तव्य की खाका तैयार करने के संबंध में बातचीत की है और अभी स्वास्थ्य क्षेत्र का खाका और गतिशीलता तैयार करने पर चर्चा हुई है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		पाठ्यक्रम तैयार करें और उनको मानकों के अनुरूप दक्ष बनाएं। विभिन्न देशों की भाषायी अपेक्षाओं का भी ख्याल रखे जाने की जरूरत है। यह सब विशेष प्रशिक्षण पैकेजों के माध्यम से हासिल किया जाना होगा। हमारी सरकार 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 99,300 करोड़ रुपये औरकौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव करती है। **मंत्रालय/विभाग: कौशल विकास एवं उद्यमिता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** मंत्रालय ने भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) के द्वारा भारतीय नर्सों और मिडवाइफों के लिए जो विदेश में नौकरी पाने के लिए इच्छुक है के लिए एक पुल पाठयक्रम (नर्सिंग योग्यता वृद्धि कार्यक्रम) का विकास किया है। पुल पाठयक्रम से ज्ञान और कौशल को विकसित करने के अलावा नर्सों को भाषा कौशल के साथ-साथ अन्य देशों में नर्सिंग देखभाल अभ्यास को उन्मुख कराएगा पुल पाठयक्रम को आईएन सी के दिनांक 24.08.2020 की अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित किया है। इसके लिए उक्त बजट घोषणा को पूर्णत क्रियान्वित कर दिया गया है।
39.	40	उद्यम शीलता हमेशा से भारत की शक्ति रही है। आज भी, युवक और युवतियों ने कहीं भी क्यों न हों, अपनी अच्छी स्थिति को त्याग कर भारत की वृद्धि में अपना योगदान किया है। उनमें जोखिम उठाने की क्षमता है और वे चुनौतियों से निपटने के लिए आमूल चूल समाधानों के साथ आते हैं। इसी प्रकार, भली-भांति स्थापित पुराने उद्योग बदलती वैश्विक और घरेलू परिस्थितियों में स्वयं को पुनः तैयार कर रहे हैं।	संयुक्त सचिव डीपीआईआईटी को डीपीआईआईटी के निवेश निकासी सेल का नोडल कार्यालय प्रभारी नियुक्त किया गया है। टीसीएस को तकनीकी सहायक के रूप में रखा है। इन्वेस्ट इंडिया और टीसीएस तब से तकनीकी पैरामीटर पर काम कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, विस्तृत सिस्टम डिजाइन और स्थापत्य को तैयार किया गया है। सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि समय सीमाओं का अनुपालन हो। अनेक बैठके एवं कार्यशालाएं की गई हैं ताकि राज्यों को क्रॉस अध्ययन, चुनिंदा सुविधाओं के प्रदर्शन और निवेश निकासी सैल के प्रस्ताव पर वार्ता के माध्यम से राज्य संगल विंडो को तैयार करने उन्नत करने की सवोर्त्तम पद्धतियों से राज्यों को अवगत कराया जा सके। आईसीसी के विकास पर बारीकी से निगरानी की जा रही है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		उनके ज्ञान, कौशल और जोखिम उठाने की क्षमताओं का संज्ञान लेते हुए, हम चाहते हैं कि उनके लिए और अधिक अवसर सृजित किए जाएं और अड़चनों को हटाया जाए। मैं निवेश निपटान प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं जो निवेश-पूर्वसलाह, भूमि बैंकों से संबंधित सूचना सहित "एंडटूएंड "सुविधा और सहायता उपलब्ध कराएगा और केन्द्र व राज्य स्तर पर निपटान को सुसाध्य बनाएगा। यह पोर्टल के माध्यम से कार्य करेगा। **मंत्रालय/विभाग: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**	
40.	41	यह तीन अलग-अलग विकासशील आर्थिक गतिविधियों के अधिकतम लाभ का मामला हैः (1) आगामी आर्थिक गलियारे; (2) विनिर्माणकारी गतिविधियों का पुनर्नवीकरण और (3) प्रौद्योगिकी और महत्त्वाकांक्षी वर्गों की मांगें। इन तीनों को एक बिंदु पर लाकर हमें लाभ प्राप्त करना होगा। इसलिए, राज्यों के साथ सहयोग से पीपीपी मोड में **पांच नए स्मार्ट शहरों** को विकसित करने का प्रस्ताव	ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहर के लिए विस्तृत मुख्य योजना एवं प्रारंभिक इंजीनियरिंग कृष्णपटनम (एपी), टुमाकुरू (कर्नाटक), रघुनाथपुर (पश्चिम बंगाल) पश्चिम बंगाल और दिधी (महाराष्ट्र) के लिए पूरी कर दी गई है। भूमि संबंधित राज्य सरकार के आधिपत्य में है। यद्यपि, इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से दिधि के लिए भूमि के हस्तांतरण की पुष्टि और पश्चिम बंगाल से रघुनाथपुर के लिए संस्थागत एवं वित्तीय संरचना के लिए प्रस्ताव लंबित है। सीसीईए के लिए कृष्णापटनम और तुमाकुरू के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रक्रिया के अधीन है। 2. अगस्त 2020 में एनआईसीडीआईटी ने नोड्स को मंजूरी दी: - 1. तेलंगाना राज्य में हैदराबाद-वारंगल और हैदराबाद-नागपुर औद्योगिक गलियारे के तहत दो प्राथमिकता वाले नोड्स यानी हैदराबाद फार्मा शहर और जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र का विकास।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		किया जाता है। ऐसे ही शहरों को चुना जाएगा जो ऊपर बताए सिद्धान्तों के लिहाज से सर्वोत्कृष्ट विकल्प हों। **मंत्रालय/विभाग: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**	2. आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ओरवाकल नोड का विकास। 3. ओडिशा राज्य में ओडिशा आर्थिक गलियारे के तहत दो नोड्स यानी जीबीके (गोपालपुर, भुवनेश्वर कलिंगनगर) और पारादीप - केंद्रपाड़ा - धामरा - सुवर्णरेखा (पीकेडीएस) का विकास।
41.	42(1)	इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माणकारी उद्योग बहुत प्रतिस्पर्धी है और भारत ने अपनी लागत प्रभावी लाभदायक स्थिति का परिचय दिया है। इस उद्योग में रोजगार सृजन की संभावनाएं अपार हैं। भारत को आवश्यक है कि अपने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करे और इलेक्ट्रॉनिक मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश आकर्षित करे। यहां, मैं, मोबाइल फोनों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेमी-कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केन्द्रित स्कीम का प्रस्ताव करती हूं। **मंत्रालय/विभागःइलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**	विनिर्माण को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित योजनाओं को अधिसूचित किया गया है: (क) बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक सामानों की विशिष्ट श्रेणियों की वृद्धिशील बिक्री पर 4 प्रतिशत, 6 प्रतिशत का उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन प्रदान करती है, इसे राजपत्र अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-01.01.2020-218990 दिनांक 1 अप्रैल, 2020 के जरिए अधिसूचित कर दिया गया है पोर्टल योजना और दिशानिर्देश लॉन्च कर दिए गए हैं और पीएलआई आवेदन प्राप्त करने के लिए आवेदकों को 02.06.2020 को उपलब्ध करा दिया गया है [https://pli.ifciltd.com]। योजना के तहत 16 कंपनियों को मंजूरी मिली। अगले 5 वर्षों में परिकल्पित परिणाम: उत्पादन: 10.5 लाख करोड़ | निर्यात: 6.5 लाख करोड़। रोजगार: 2,00,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार। 2. इलेक्ट्रॉनिक सामानों की अभिज्ञात सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25 प्रतिशत का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने वाली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों (स्पेस) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना 1 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित । योजना और दिशानिर्देश 2 जून, 2020 को लॉन्च कर दिए गए हैं और पीएलआई आवेदन प्राप्त करने के लिए पोर्टल आवेदकों को दिनांक 02.06.2020 को उपलब्ध कराया गया है [https://specs.ifciltd.com]
42.	42(2)	समुचित संशोधन करके, यह स्कीम चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के लिए भी	फार्मा उद्योग विकास विभाग की अम्ब्रेला योजना के तहत "चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना" उप-योजना को

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		अपनाई जा सकती है। **मंत्रालय/विभागः औषध**	मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 20.03.2020 की अपनी बैठक में 3420 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से अनुमोदित किया गया था। इस उप-योजना के दिशानिर्देश दिनांक 27.07.2020 को जारी किए गए थे। परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) यानी आईएफसीआई लिमिटेड को भी नियुक्त कर दिया गया है। इस योजना में शामिल प्रासंगिक उत्पादों की सूची में निम्नलिखित हैं: i) कैंसर की देखभाल/रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण ii) रेडियोलॉजी और इमेजिंग चिकित्सा उपकरण (दोनों आयनीकृत और गैर-आयनीकृत विकिरण उत्पाद) और परमाणु इमेजिंग उपकरण iii) एनेस्थेटिक्स एंड कार्डियो-रेस्पिरेटरी मेडिकल डिवाइसेज जिनमें कार्डियो रेस्पिरेटरी कैटेगरी के कैपेटर और रेनल केयर मेडिकल डिवाइसेज शामिल हैं iv) प्रत्यारोपण-योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित सभी प्रत्यारोपण। उक्त योजना के संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर 28 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी पीएमसी द्वारा जांच की जा रही है।
43.	43	भारत प्रत्येक वर्ष अच्छी-खासी मात्रा में 16 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के तकनीकी वस्त्रों का आयात करता है। इस प्रवृत्ति को पलटने के लिए और भारत को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव है जिसकी 1480 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय से	• 26 फरवरी 2020 को सीसीईए द्वारा अनुमोदित। • 34 अनुसंधान अभिजचिह्नित। • तेलंगाना में एकीकृत अनुसंधान, परीक्षण और सत्यापन केंद्र की योजना है। • आत्म निर्भर भारत-कोविड-19 के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) और एन-95 मास्क क्षमता स्वदेशी रूप से लिए विकसित की गई है। • 6 करोड़ से अधिक पीपीई और 15 करोड़ एन-95 मास्क का उत्पादन किया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। • देश में 1100 पीपीई और 300 एन-95 मास्क निर्माता हैं।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		2020-21 से 2023-24 की चार-वर्षीय कार्यान्वयन अवधि होगी। **मंत्रालय/विभागः वस्त्र**	
44.	44.	लाल किले से, हमारे प्रधानमंत्री ने जब "जीरो डिफैक्ट-जीरो इफैक्ट "विनिर्माण की बात की तो उन्होंने गुणवत्ता और मानकों की बात की थी। पिछले साल सितंबर में, मैंने उद्योगों से सभी जरूरी, अनिवार्य तकनीकी मानकों और उनके प्रभावी प्रवर्तन के समयबद्ध अंगीकरण की मांग की थी। इस वर्ष के दौरान, सभी मंत्रालय गुणता मानक संबंधी आदेश जारी करेंगे। **मंत्रालय/विभागः उपभोक्ता मामले, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**	**उपभोक्ता मामले विभाग** 204 भारतीय मानकों द्वारा कवर किए गए उत्पादों के लिए 204 भारतीय मानकों द्वारा कवर किए 46 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) विभिन्न लाइन विभागों/मंत्रालयों के विचाराधीन हैं। इसके अलावा, 346 भारतीय मानकों को कवर करने वाले 341 उत्पादों को विभिन्न लाइन विभागों/मंत्रालयों द्वारा जारी क्यूसीओ के माध्यम से अनिवार्य प्रमाणन के तहत अधिसूचित किया गया है। इनमें से: 08 उत्पाद कार्यान्वयन का दिनांक 1 जनवरी, 2021 है 02 उत्पाद-कार्यान्वयन का दिनांक 17 जनवरी, 2021 है 05 उत्पाद-कार्यान्वयन का दिनांक 23 जनवरी, 2021 है 20 उत्पाद-कार्यान्वयन का दिनांक 27 फरवरी, 2021 है 01 उत्पाद-कार्यान्वयन का दिनांक 1 मार्च, 2021 है 01 उत्पाद-कार्यान्वयन का दिनांक 31 मार्च, 2021 है 01 उत्पाद-कार्यान्वयन का दिनांक 1 अप्रैल, 2021 है 03 उत्पाद-कार्यान्वयन का दिनांक 3 मई, 2021 है 05 उत्पाद-कार्यान्वयन की तारीख 4 मई, 2021 है 01 उत्पाद-कार्यान्वयन की तारीख 10 मई, 2021 है 31 उत्पाद-कार्यान्वयन की तारीख 12 मई, 2021 है 01 उत्पाद-कार्यान्वयन की तारीख 1 जून, 2021 है 06 उत्पाद-कार्यान्वयन का दिनांक 13 जून, 2021 है 26 उत्पाद-कार्यान्वयन की तारीख 1 जुलाई, 2021 है 05 उत्पाद-कार्यान्वयन की तारीख 21 सितंबर, 2021 है 68 आईटी और सौर उत्पाद और 08 लो-वोल्टेज स्विचगियर और नियंत्रण गियर अनिवार्य पंजीकरण के तहत कवर किए गए हैं। इनमें से 07 आईटी उत्पाद ऐसे हैं, जिनके कार्यान्वयन की तिथि 01 अप्रैल, 2021 और 08 विद्युत उपकरण हैं, जिनके कार्यान्वयन की तिथि 11 नवंबर, 2021 है। गोल्ड ज्वैलरी/कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 15 जनवरी 2020 को जारी किया गया। 1 जून, 2021 से लागू होगा।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
			उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) डीपीआईआईटी अपने अधिदेश के अनुसार 1987 से क्यूसीओ जारी कर रहा है। बीआईएस अधिनियम, 1986/2016 के तहत 100 उत्पादों (जैसे एयर कंडीशनर, खिलौने, फुटवेयर्स, प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव ओवन आदि) के लिए क्यूसीओ के साथ-साथ भारतीय विस्फोटक अधिनियम,1884 के अनुसार 15 उत्पादों के लिए क्यूसीओ जारी किए गए हैं। वाणिज्य विभाग (डीओसी) द्वारा आयात में अत्यधिक वृद्धि के आधार पर यथा-अबिचिह्नित 71 एचएसएन कोड की जाँच डीपीआईआईटी द्वारा की गई है। जिसमें से क्यूसीओ 22 के लिए अधिसूचित किया गया; अतिरिक्त 13 विचाराधीन हैं; बाकी 36 एचएस लाइनों पर क्यूसीओ संभव नहीं है। डीपीआईआईटी क्यूसीओ की अधिसूचना के लिए लगातार बीआईएस और प्रासंगिक हितधारकों के साथ समपर्क कायम किए हई।
45.	45.	उच्चतर निर्यात ऋण संवितरण हासिल करने के लिए, एक नई स्कीम, "निर्विक "का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें उच्चतर बीमा कवरेज, छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम राशि में कटौती और दावों के निपटान हेतु सरलीकृत प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। **मंत्रालय/विभाग:** **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**	इस स्कीम की जांच की जा रही है।
46.	46.	केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर ऐसे वसूले गए शुल्कों और करों, जैसे कि विद्युत शुल्क और परिवहन के लिए प्रयोग किए गए इंधन पर वैट को निर्यातकों को डिजीटल तरीके से	i) राजस्व विभाग नई स्कीम के अंतर्गत उच्चतम दर निर्धारित करने के लिए विभिन्न लाइन मंत्रालयों/विभागों और ईपीसी/उद्योग संघों के साथ परामर्श द्वारा गठित कर रही है। आरओडीटीईपी समिति ने लगभग 2000 एचएस लाइनों के लिए दरों की संस्तुति पहली रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जा रही है। जिसकी जांच की जा रही है। ii) आरओडीटीईपी स्कीम क्रियान्वयन दिशा-निर्देशों के बीच

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		लौटाने का प्रस्ताव है। जिनके लिए किसी भी अन्य मौजूदा तंत्र के अंतर्गत न तो छूट मिल रही है और न ही रिफंड मिल रहा है *निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों को प्रत्यावर्तित करने की यह स्कीम इस वर्ष शुरू की जाएगी।* **मंत्रालय/विभाग:** **वाणिज्य**	नियमित आधार पर विचार-विमर्श हो रहा है जिसमें बहिष्करण श्रेणियां और इसमें अतनिर्मित किए जाने वाले रक्षोपाय शामिल है। iii) राजस्व विभाग/डीजी (एसवाईएसटीईएमएस) ने शिपिंग बिल माड्यूल आईसीईजीएटीई पर शुरू कर दिया है ताकि दिनांक 01.01.2021 से वह निर्यातक जो आरओडीटीईपी स्कीम के अंतर्गत लाभ के लिए दावा करने के इच्छुक है वे अपने अभिप्राय की घोषणा कर सकें और उपयुक्त स्कीम कोड का चयन कर सकें। साफ्टवेयर भी विकसित कर रहे हैं ताकि सरकार द्वारा स्कीम दिशा-निर्देश और रिफंड की दरें अधिसूचित करने के बाद निर्यातकों को डिजिटल रूप में ई-स्क्रिप जारी किया जा सके।
47.	47	प्रधानमंत्री का विजन है कि प्रत्येक जिला एक निर्यात केन्द्र के तौर पर विकसित होना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रयासों के बीच तालमेल बैठाया जा रहा है और संस्थागत मैकेनिज्म का सृजन किया जा रहा है। **मंत्रालय/विभाग:** **वाणिज्य**	निर्यात के लिए संभावना तलाशने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरण में संगोष्ठियों/बैठकें आयोजित की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला निर्यात संवर्धन समितियां (डीईपीसी) गठित की जा चुकी है और 510 जिलों में प्रारंभिक डीईपीसी बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं। डीजीएफटी साप्ताहिक आधार पर प्रगति की देखरेख करते हैं। 451 जिलों के लिए प्रारूप जिला निर्यात की जा चुकी हैं। सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समितियां गठित की जा चुकी है। 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात कार्यनीति तैयार की गई है। 12 जिलों में ट्वाय क्लस्टरों की पहचान की जा चुकी है। 20 कृषि क्लस्टर समितियां गठित की गई हैं। इन जिलों से निर्यात को ई-वाणिज्य के साथ एकीकृत करने के लिए उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में और कर्णाटक के 5 जिलों में पायलट आधार पर निर्यात विकास केन्द्रों (ईडीसी) की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।
48.	48.	माल, सेवाओं की अधिप्राप्ति और निर्माण कार्यों के लिए एकल मंच उपलब्ध कराने के लिए देश में एकीकृत अधिप्राप्ति प्रणाली के सृजन हेतु सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) योजना अग्रसर	**एमएसएमई** 1. दिनांक 30.12.2020 की स्थिति के अनुसार जीईएम में कुल 9,13,332 विक्रेता और सेवा प्रदाता और 3,85,353 एमएसई पंजीकृत है। 2. कुल आर्डर मूल्य का लगभग 57.92 प्रतिशत सूक्ष्म व लघु उद्यम जीईएम के माध्यम से एमएसएमई को गया है। 3.एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश दिया

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को शानदार मौके उपलबध्ध कराती है इस प्लेटफार्म पर 3.24 लाख विक्रेता पहले से ही मौजूद हैं। इसका टर्नओवर 3 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का प्रस्ताव है। मैं, वर्ष 2020-21 के लिए उद्योग और वाणिज्य के विकास और संवर्धन के लिए लगभग 27,300 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती हूं। **मंत्रालय/विभाग:** **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, वाणिज्य**	गया है कि वे अधिक से अधिक एमएसई को वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति के लिए जीईएम पोर्टल पर आने के लिए प्रोत्साहित करें। 4. नव-प्रवर्तित उद्यम पंजीकरण पोर्टल उद्यम का पंजीकरण करते समय जीईएम के साथ उद्यम को लिंक करने जुड़ने का विकल्प पेश करता है। 5. जीईएम से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए चैंपियन्स पोर्टल की रूपरेखा पर एमएसएमई के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के लिए अनुरोध किया गया है। 6. जीईएम और व्यापार प्राप्य-राशि डिस्काउंटिंग प्रणाली (टीआरईडीएस) को भी एकीकृत किया गया है। **वाणिज्य विभाग** 1. समय पर। 2. अब जीईएम पर उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं की श्रेणीयां है लगभग 1.78 करोड़ रु. का सार्वजनिक प्रापन-क्षमता कवर करती है। 3. 12,588 उत्पाद श्रेणियां और 197 सेवा तैयार की गई हैं। 4. जीईएम पोर्टल पर अनुपलब्ध वस्तु और सेवाओं के प्रापण के लिए 'कस्टम बोली' की कार्यात्मकता केन्द्रीय और राज्य सरकार के सभी संगठनों के लिए सक्षम कर दी गई है 5. पारदर्शी, सुविधाजनक और किफायती प्रापण के लिए कई कई प्रकार की विशिष्टताएं और कार्यात्मकताएं उपलब्ध कराने हेतु अगस्त 2019 से 292 मुख्य प्रक्रियाएं सहित 1493 साफ्टवेयर प्रक्रियाएं को क्रियान्वित उन्नत की गई है। 6. जीईएम विक्रेता आईडी उपलब्ध कराने की कार्यात्मकता लाइव है। केन्द्रीय सरकारी संगठनों को वस्तु और सेवाएं प्रदान करने वाले विक्रेताओं के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया है कि वे है। जीईएम पर पंजीकरण कराएं और अद्वितीय जीईएम विक्रेता आईडी प्राप्त करें। 7. जीईएम के बारे में जागरूकता लाने के लिए जीईएम, एमएसएमई के लिए नियमित आधार पर प्रशिक्षण सत्र/सम्मेलन/वृहत स्तर पर आउटरीच कार्यक्रम/वेबिनार आयोजित करती है। 8. कुल मिलाकर 9,78,011 वेंडर सम्मिलित हुए हैं जिनमें से 4,39,764 एमएसई है। एमएसई का जीईएम पर कुल आर्डर मूल्य के 57 प्रतिशत से अधिक का अंशदान है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
49.	49.	माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस, 2019 के अवसर पर दिए अपने भाषण में जोर देकर कहा था कि अगले 5 वर्षों में अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे। उसी के अनुकरण में मैंने 31 दिसम्बर, 2019 को 103 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शुरू की थी। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की 6500 से अधिक परियोजनाएं हैं जिन्हें उनके आकार और विकास के चरण के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। इन नई परियोजनाओं में हाऊसिंग, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा मुहैया कराना, सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल, विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थान, आधुनिक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस टर्मिनल, मेट्रो और रेल यातायात, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाऊसिंग, सिंचाई परियोजनाएं आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक के जीवनयापन की स्थिति शैली में सुधार लाने का विजन रखा गया है। यह	दिसम्बर, 2020 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी, आरपीएल सीएससीएम और सीएसएसएम घटक दोनों के अंतर्गत विशेष परियोजना सहित) के अंतर्गत 326 (एनएसक्यूएफ) से जुड़े अवसंरचना संबंधी जाब भूमिकाओं में बताया गया है कि 6,20,874 प्रसिक्षणार्थियों को प्रशिक्षत किया गया है जिसमें से 84,510 प्रशिक्षुओं को नौकरी मिल गई है। क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:- (i) अवसंरचना: एसटीटी-3256 को प्रशिक्षण दिया गया, 2505 को प्रमाण-पत्र दिया गया और 750 को नौकरी मिलने की सूचना है। आरपीएल-31,129 को प्रशिक्षण दिया गया और 25,501 को प्रमाण-पत्र दिया गया। विशेष परियोजना-565 को प्रशिक्षण दिया गया, 463 को प्रमाण-पत्र दिया गया और 228 को नौकरी मिलने की सूचना है। (ii)पूंजीगत वस्तु एसटीटी-51,665 को प्रशिक्षण दिया गया, 28,167 को प्रमाण-पत्र दिया गया और 16,148 को नौकरी मिलने की सूचना है। आरपीएल-914 को प्रशिक्षण दिया गया और 167 को प्रमाण-पत्र दिया गया और 269 को नौकरी मिली है। विशेष परियोजना-4885 को प्रशिक्षण दिया गया,1087 को प्रमाण-पत्र दिया गया और 269 को नौकरी मिलने की सूचना है। (iii) निर्माण: एसटीटी-1,45,252 को प्रशिक्षण दिया गया, 1,07,613 को प्रमाण-पत्र दिया गया और 65,373 को नौकरी मिलने की सूचना है। आरपीएल-3,74,106 को प्रशिक्षण दिया गया और 2,38,324 को प्रमाण-पत्र दिया गया। विशेष परियोजना-9,102 को प्रशिक्षण दिया गया, 4695 को प्रमाण-पत्र दिया गया और 1742 को नौकरी मिलने की सूचना है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		इन अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के विकास प्रचालन और रखरखाव में सामान्य जेनरिक और क्षेत्रगत सुधार लाएगा। भारत के युवा वर्ग के लिए अवसंरचना के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव में रोजगार के अपार अवसर मौजूद हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी अवसंरचना केन्द्रित कौशल विकास के अवसरों को विशेष बल प्रदान करेगी। **मंत्रालय/विभाग:** **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय**	
50.	50(1)	मैं अवसंरनात्मक परियोजनाओं के लिए परियोजना तैयारी सुविधा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूँ। यह कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालयों से युवा इंजीनियरों, प्रबंधन स्नातकों और अर्थशास्त्रियों को सक्रिय रूप से शामिल करेगा। **मंत्रालय/विभाग:** **आर्थिक कार्य विभाग**	विभिन्न अवसंरचना मंत्रालय में परियोजना विकास प्रकोष्ठ स्थापित किए जा रहे हैं। डीपीआईआईटी द्वारा इसके कार्यान्वयन की देखरेख की जा रही है। परियोजना विकास लागत, जिसमें ऐसी परियोजनाओं का तकनीकी समापन हासिल करने के लिए प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा उपगत खर्च शामिल हो सकता है। को पूरा करने के उद्देश्य से पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रायोजक प्राधिकारियों को भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ)को उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त आईआईपीडीएफ दिशानिर्देशों में कुछ बदलाव सहित परियोजना तैयारी और सहायक सुविधा प्रक्रियाधीन है।
51.	50(2)	सरकार की सभी अवसंरचना एजेंसियों को निदेश देने का भी प्रस्ताव है कि वे स्टार्ट-अप्स में युवा शक्ति को शामिल करें। ये नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक अवसंरचना में	सभी अवसंरचना मंत्रालय अपने अधिदेश नीतियों में सुधार लाएंगे। स्टार्ट-अप से संबंधित मामले डीपीआईआईटी के कार्य क्षेत्र में आते है। विभिन्न अवसंरचना विभागों मंत्रालयों को पत्र जारी किए गए हैं कि वे युवा-शाक्ति, स्टार्ट-अप को बढ़ावा दे सहारा दें, प्रोत्सहित करें ताकि वे सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में मूल्यवर्धित सेवाओं के विकास की दिशा में योगदान कर सकें।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		मूल्यवर्धित सेवाएं लाने में मददगार होंगे। **मंत्रालय/विभाग:** **आर्थिक कार्य**	
52.	51	जल्द ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जारी की जाएगी। अन्य बातों के साथ-साथ, यह केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और प्रमुख विनियामकों की भूमिकाओ को स्पष्ट करेगी। यह सिंगल विंडो ई-लॉजिस्टिक्स मार्केट सृजित करेगी और रोजगार सृजन, कौशल और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को प्रतिस्पर्धी बनाने पर विशेष बल देगी। **मंत्रालय/विभाग: वाणिज्य**	नीति विचाराधीन है। लाजिस्टिक प्लेटफार्म प्रक्रियाधीन है और अब इसे आईलॉग (इंडिया लाजिस्टिक) प्लेटफार्म के नाम से शुरू किया गया है। उपयुक्त कार्यान्वयन तंत्र बनाने के लिए इस प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है।
53.	52.	राजमार्गों के विकास में तेजी लाई जाएगी। इसमें 2500 कि.मी. अभिगम नियंत्रण राजमार्गों, 9000 किमी आर्थिक गलियारों, 2000 किमी. तटीय और भू-पत्तन सड़कों और 2000 कि.मी. सामरिक राजमार्गों का विकास शामिल किया जाएगा। दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे और दो अन्य पैकेज वर्ष 2023 तक पूरे हो जाएंगे। चैन्नई-बेंगलूरू एक्सप्रेस वे को भी शुरू किया जाएगा। **मंत्रालय/विभाग: सड़क परिवहन और राजमार्ग**	2,638 किमी में से, 237 किमी एक्सप्रेसवे को एनएचएआई द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया है। 1,190 किमी एक्सप्रेसवे (दिल्ली वडोदरा में 760 किमी, वडोदरा मुंबई में 269 किमी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में 51 किमी, अहमदाबाद धौलेरा में 110 किमी) कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अलावा, 798 किमी लंबाई की सड़क बोली के अधीन है। आर्थिक गलियारा: भारतमाला योजना के पहले चरण - I के तहत विकास के लिए एनएचएआई ने पहले ही 3,326 किमी और एनएचआईडीसीएल ने लगभग 529.27 किमी का कार्य जारी कर दिया है। तटीय और पत्तन पत्तन कनेक्टिविटी सड़क -एनएचएआई द्वारा अबतक 168 किमी (अर्थात, 77 किमी की तटीय सड़क और 91 किमी की पत्तन कनेक्टिविटी सड़क) सामरिक राजमार्ग (सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी रोड): भारतमाला परियोजन के चरण -1 के तहत एनएचएआई को पहले ही 977 किलोमीटर सीमा सड़क का कार्य जारी कर

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
			दिया है। एनएचआईडीसीएल ने लगभग 137.71 किलोमीटर लंबाई के सामरिक राजमार्ग सौंपी का कार्य जारी कर दिया है।
54.	53.	फास्टैग तंत्र हमारे राजमार्गों को और अधिक वाणिज्यिकृत करने की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है ताकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और अधिक संसाधन जुटा सके। मैं वर्ष 2024 से पहले 6000 किमी से अधिक के राजमार्गों के कम से कम बारह लॉट्स के मुद्रीकरण को मौद्रिक करने का प्रस्ताव करती हूं। **मंत्रालय/विभाग: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**	फास्टेग जारी करना: 27.12.2020 की स्थिति के अनुसार, लगभग 2.23 करोड़ फास्टेग जारी किए जा चुके हैं। • दैनिक इलेक्ट्रानिक टोल क्लेक्शन ईटीसी संग्रहण अंतरण की औसत संख्या: लगभग 46.56 लाख • दैनिक ईटीसी अंतरण का औसत मूल्य: लगभग 76.17 करोड़ रु.। • ईटीसी उपयोग: लगभग 74% • आज की तिथि के अनुसार ईटीसी उपयोग का संचयी सं: लगभग 175 करोड़ • आज की तिथि के अनुसार ईटीसी उपयोग का संचयी मूल्य: लगभग 34,781 करोड़ टीओटी के माध्यम से एनएच विस्तार के मुद्रीकरण की स्थिति: - • 6,000 किमी लंबाई में से 680 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग को पहले से ही टीओटी मॉडल (बंडल -1) के माध्यम से मुद्रीकृत किया गया हैं। वर्ष 2018-19 में 9,681.50 करोड़ रुपये की रियायत शुल्क वसूली की गई है। • 566 किमी की लंबाई वाली एनएच को टीओटी बंडल -3 के तहत मुद्रीकृत किया गया है। दिनांक 20.10.2020 को 00.00 बजे घोषित नियुक्ति तिथि। वर्ष 2020-21 में 5,011 करोड़ रुपये की रियायत शुल्क वसूली की गई है। • दिनांक 18.01.2021 को विस्तारित बोली अंतिम तिथि सहित दिनांक 24.09.2020 को टीओटी बंडल 5(ए-1) और 5(ए-2) के लिए आरएफपी जारी की गई । वर्ष 2024-25 तक 7,000 किमी की लगभग 100 परियोजना विस्तार कार्य योजना सौंपी गई। टीओटी बंडल-5 बी जैसी आगे की बंडल को बोली लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
55.	54.	अपनी ड्यूटी करते हुए भारतीय रेल राष्ट्र को अपनी सेवाएं अर्पित कर रहा है। (क)इस सरकार के कार्य भार ग्रहण करने के 100 दिनों के भीतर इसने 550 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधाएं चालू की हैं। (ख) मानव रहित रेल फाटकों को समाप्त कर दिया है। (ग) 27000 किमी लंबाई की रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें लागतों को इष्टतम करने की आवश्यक होगी। रेलवे के पास बहुत कम ऑपरेटिंग सरप्लस होती है। भारतीय रेल के बारे में मैं अन्य के अलावा इन पांच उपायों पर बल देना चाहूंगीः • रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर रेल ट्रैक के साथ-साथ बड़ी सोलर पावर क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। • स्टेशन के पुनर्विकास की चार परियोजनाओं और 150 यात्री गाडियों का प्रचालन सरकारी निजी भगीदारी रीति से किया जाएगा। निजी भागीदारी को आमंत्रित करने की	भारतीय रेलवे ने अपने ट्रैक्शन विद्युत आवश्यकताओं के लिए भूमि आधारित सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए अपने अप्रयुक्त रिक्त भूमि पार्सल का उपयोग करने के लिए 'ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट' के रूप में योजना बनाई है। लगभग 51,000 हेक्टेयर खाली रेलवे भूमि है।3 पायलट परियोजनाएं चल रही हैं: 1) भिलाई (छत्तीसगढ़) में खाली अप्रयुक्त भूमि पर 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र जिसे केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता (सीटीयू) के साथ जोड़ा जाएगा। 2) दीवाना (हरियाणा जिसे राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता (एसटीयू) से जो जाएगा) में 2एमड्ब्ल्यूपी का सौर संयत्र को सितंबर, 2020 में सफलतापूर्वक शुरु किया गया। 3) बीना (मध्य प्रदेश) में 1.7 एमड्ब्ल्यूपी का सौर संयत्र जो सीधे भूमि के ऊपर ट्रैक्शन सिस्टम से जोड़ा जाएगा, को जुलाई, 2020 में सफलतापूर्वक शुरु किया गया । I. स्टेशनों की पुनर्विकास की स्थिति निम्नानुसार हैः- हबीबगंज और गांधीनगर स्टेशन के कार्य की प्रगति उन्नत स्तर पर है। अयोध्या और गोमती नगर स्टेशन का कार्य प्रगति पर है और इसे क्रमशः अक्तूबर, 2021 और दिसम्बर, 2022 तक पूरा किया जाना है। बिजवासन, चंडीगढ़ और अजनी स्टेशनों के लिए संविदा दी गई है और इसे जून, 2023 तक पूरा किया जाना है। सफदरजंग स्टेशन के लिए संविदा को भी पूरी की गई है। 08 स्टेशनों (नागपुर, ग्वालियर, साबरमती, अमृतसर, नेल्लोर, तिरुपति, पुदुचेरी और देहरादून) के लिए आरएफक्यू को अंतिम रूप दिया जा चुका है। 2 स्टेशन (नई दिल्ली और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) के लिए आरएफक्यू आमंत्रित की गई है। 4 स्टेशनों (लखनऊ, एर्नाकुलम, सूरत और उधना) के लिए आरएफक्यू, पीपीपीएसी/एसएफसी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। 28 स्टेशन के प्रस्ताव/आरएफक्यू निर्माण के विभिन्न स्तर पर हैं। II. लगभग 150 यात्री ट्रेन सेवाओं वाले सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) पर यात्री ट्रेन की संचालन की परियोजना को 12 (बारह) समूह में विभाजित किया गया है। 12 समूहों के लिए आरएफक्यू को अंतिम रूप दिया गया है। आरएफक्यू मूल्यांकन का परिणाम दिनांक 19 नवम्बर, 2020 को

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		प्रक्रिया चल रही है। • तेजस के तरह की और अधिक गाडियां प्रमुख पर्यटक गंतव्यों को जोड़ेंगी। • मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन के कार्य में तेजी लाई जाएगी। 18600 करोड़ रुपये की लागत वाली 148 किमी लंबी बेंगलूरू सब अर्बन ट्रांसपोर्ट परियोजना में मेट्रो मॉडल पर किराया लगेगा। केन्द्र सरकार 20 प्रतिशत इक्विटी प्रदान करेगी और परियोजना लागत का 60 प्रतिशत तक विदेशी सहयोग से पूरा किया जाएगा। **मंत्रालय/विभाग: रेल मंत्रालय**	प्रकाशित किए गए थे। आरएफक्यू प्रस्ताव हेतु अनुरोध आमंत्रित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। विभिन्न समूहों के लिए आरएफपी को दिनांक 24 नवम्बर, 2020 को प्रकाशित किए गए थे आरएफपी स्तर के लिए पहली पूर्व-अनुप्रयोग सम्मेलन दिनांक 10.12.2020 को आयोजित की गई है और सम्मेलन के दौरान पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिनांक 30.12.2020 को केंद्रीय खरीद पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। भारतीय रेलवे प्रणाली में तेजत एक्सप्रेस की 04 जोड़ी गाड़िया चलाई जा रही है। इनमें से दोनों नामतः 22671/22672 चेन्नई एग्मोर-मदुरई जंक्शन तेजस एक्सप्रेस और 22119/22120 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल-कर्माली तेजस एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही है और जबकि 2 ट्रेने नामतः 82501/82502 लखनऊ-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस और 82901/82902 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, आईआरसीटीसी ने 82501/82502 लखनऊ-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस और 82901/82902 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस चलाई थी, जिसे अक्तूबर, 2020 के मध्य में पुनः चलाई गई थी, को खराब संरक्षण के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बजट घोषणा के बाद, कोई भी नई तेजस ट्रेन शुरू नहीं की गई है। अतिरिक्त तेजस प्रकार के रोलिंग स्टॉक के निर्माण और नियमित सेवा के संचालन के बाद तेजस ट्रेनों को शुरू किया जाना संभव होगा। 508 किमी. की तकनीकी सर्वेक्षण को पूरा कर लिया गया है। 984.12 हेक्टेयर भूमि, 1396 हेक्टेयर में से 70.49 प्रतिशत अधिग्रहित की गई है। भूमि अधिग्रहण का राज्यवार विवरण निम्नानुसार हैः - गुजरात में 956 हेक्टेयर में से 877.82 हेक्टेयर - दादरा और नगर हवेली में 8 हेक्टेयर में से 7.65 हेक्टेयर - महाराष्ट्र में 432 हेक्टेयर में से 98.65 हेक्टेयर यह परियोजना मूल्यांकन और सर्वेक्षण के अधीन है और इसके डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। पर्यावरण और सीआरजेड मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। संपूर्ण परियोजना को

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
			25 संविदा पैकेज में प्लान किया गया है जिसमें द्रुतगति रेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना शामिल है। प्रशिक्षण संस्थान की तीन संविदा पैकेज का कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन, डिपो आदि सहित 325 किमी. की मुख्य लाइन पुल की सिविल कार्य से संबंधित 2 संविदा पैकेज हेतु निविदा प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, 1 और संविदा पैकेज के लिए निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया के अधीन है और 7 संविदा पैकेज आमंत्रित की जा चुकी हैं। केंद्रीय आर्थिक कार्य समिति ने दिनांक 7.10.2020 को बेंगलुरू उपनगरी परिवहन परियोजना को मंजूरी दे दी है जिसका अनुमानित लागत 13,926 करोड़ रुपए है और पूर्ण लागत 15,767 करोड़ रुपए है। भारत सरकार और कर्नाटक सरकार दोनों के लिए पूर्ण लागत का प्रस्तावित वित्तीय पैटर्न 20 प्रतिशत है और शेष 60 प्रतिशत बैंक/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय निधियन एजेंसी (एमएफए) से ऋण के रूप में है।
56.	55.	हमारे समुद्री बंदरगाहों को और अधिक दक्ष बनाने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी को निष्पादन में और सुधार लाना है। वैश्विक बेंचमार्को के अनुरूप एक गर्वनेंस प्रेमवर्क स्थापित किया जाना चाहिए। यह सरकार कम से कम एक बड़ी बंदरगाह को निगमित करने पर विचार करेगी और बाद में इसे स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी। **मंत्रालय/विभाग: पोत परिवहन**	पीसीएस 1x को दिनांक 11 दिसम्बर, 2018 को शुरू किया गया था और आज की तिथि के अनुसार पहचान किए गए 27 स्टेकहोल्डरों (16,000 से अधिक प्रयोक्ता) में से 26 को शामिल किए गए हैं। इसमें 9 बैंकों (दिनांक 17.12.2020 से 2 बैंकों को बंद कर दिया गया है), 5 भुगतान एग्रीगेटर/गेटवे (बी2बी और बी2जी लेनदेन के लिए), 161 सीएफएस, 122 आईसीडी और कोनको के साथ एकीकरण शामिल है। सभी 12 प्रमुख पत्तन और 7 गैर-प्रमुख पत्तन (गुजरात में 6 और तमिलनाडु में 1) को शामिल किए गए हैं। एक परिवहन/वाहन बुकिंग माड्यूल (ई-वाहन/ई-सारथी सहित) का विकास किया गया है, ई-वाहन और ई-सारथी की एपीआई एकीकरण की जांच पूरी की जा चुकी है। निम्नलिखित पत्तनों में परिवहन माड्यूल को विस्तारित रूप से जांच की गई है: - कामराजार पोर्ट लिमिटेड (इन्नोर) - लाइव लेनदेन पूरा किया गया है। - न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट - जांच पूरी कर ली गई है। - एनएमपीटी पीओएस (पत्तन संचालन प्रणाली) की गो-लाइव के लिए कार्यान्वयन लंबित है। - मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट - कोविड के कारण कार्यान्वयन में विलंब हुआ है। शेष पत्तनों में प्रयोक्ता स्वीकृति जांच चल रही है और सभी

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
			प्रमुख पत्तनों में दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक कार्यान्वयन पूरी की जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, शिपिंग पारिस्थितिकी तंत्र के लिए शुरू से अंत तक व्यापार सुविधा प्रदान करने के लिए पीसीएस 1x को एनएलपी - मरिन में बूटस्ट्रैपिंग किया जा रहा है। प्रस्तावित एनएलपी - मरिन से संपूर्ण परिवहन और चैन को जोड़ते हुए एक एकल डाटा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से साजोसामान प्रभावी प्रक्रिया को अनुकूलन प्रबंध और स्वःचालित समुद्री परिवहन हेतु सभी हितधारकों के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करने की अपेक्षा है। एनएलपी- मरिन दिसम्बर, 2021 तक संचालित किया जाएगा।
57.	56.	अंतर्देशीय जलमार्गों को पिछले पांच वर्षों में काफी बढ़ावा दिया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर जल विकास मार्ग पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, 890 किमी धुबरी-सादिया कनेक्टिविटी का कार्य 2022 तक कर लिया जाएगा। जलमार्गों के विकास कार्य के परिणामस्वरूप नदी के दोनों किनारों के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने "अर्थगंगा" की अवधारणा रखी है। नदी के किनारों पर आर्थिक कियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को जारी रखा गया है। **मंत्रालय/विभाग: पोत परिवहन, जल संसाधन**	**पोत परिवहन मंत्रालय** (क) जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) में जेएमवीपी की संशोधित लागत का लगभग 38.57 प्रतिशत की कुल वित्तीय प्रगति हुई है और इसका भौतिक प्रगति लगभग 40.13 प्रतिशत है। वाराणसी और साहिबगंज में मल्टीमॉडल टर्मिनलों का निर्माण पूरा हो चुका है और हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनल और फरक्का में नेविगेशनल लॉक में क्रमशः 94.50 प्रतिशत और 75.59 प्रतिशत की पर्याप्त प्रगति हुई है। कम से कम 3 मीटर की आश्वासित गहराई और 35/45 की नीचे की चैनल की चौड़ाई वाले गंगा की विस्तारित जहाज के रास्ते को विकसित किए जाने वाले संविदा चल रहा है। डीपीआर अध्ययन पूरी की जा चुकी है और पीपीपी मॉडल के अंतर्गत वाराणसी एमएमटी और हल्दिया एमएमटी के लिए मॉडल को सैस करने, संचालन और अंतरण (ईओटी) हेतु 2 प्रस्ताव की निविदा प्रक्रिया चल रही है। पीपीपी मॉडल के अंतर्गत साहिबगंज एमएमटी के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए डीपीआर अध्ययन पूरी की जा चुकी है और निविदा आरंभ की गई है। एनडब्ल्यू-2 (ब्रह्मपुत्र) और एनडब्ल्यू-16 (बराक) और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (आईबीपी) की व्यापक विकास प्रस्तावित है जिसे 5 वर्ष की अवधि में किया जाना है। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अवसंरचना विकास सहित महत्वपूर्ण कनेक्टिवी स्थापित करने के लिए 2020-2025 के दौरान 606 करोड़ रुपए की लागत सहित इन जलमार्गों की विकास की मंजूरी दे दी है। जो अंतर्देशीय संपर्क जोड़ते हुए

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
			क्षेत्र में आर्थिक विकास और व्यापार को बढ़ावा देगी। अर्थ गंगा कार्यक्रम के उद्देश्य को जेएमवीपी के परियोजना विकास उद्देश्यों से जोड़ा गया है। अर्थ गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत यह प्रस्ताव किया गया है कि फ्लोटिंग समुदाय जेट्टी, रो-रो और रो-पैक्स जेट्टी, फरक्का में मौजूदा नेवीगेशन लॉक के आधुनिकीकरण, नदी क्रूज और यात्री नौका टर्मिनल को विकसित करना जिसमें 746 करोड़ रुपए की कुल अनुमान लागत है, के परामर्श और अध्ययन हेतु प्रापण प्रगति पर है। **जल संसाधन विभाग** उपाध्यक्ष, नीति आयोग और गंगा नदी में संवहनीय आर्थिक विकास प्रारूप आधारित विकास के लिए जल शक्ति मंत्रालय के माननीय सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में अर्थ गंगा की 2 बैठकें आयोजित की गईं। बैठक के संस्तुति के अंश के रूप में यह निर्णय लिया गया था कि एनएमसीजी प्रत्येक क्षेत्र विशेष इंटरवेंशन के लिए कार्यान्वयन ढांचा प्रस्तुत करने हेतु रूप रेखाओं पर निर्णय लेने के लिए क्षेत्र विशेषज्ञ और संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्शी बैठक का आयोजन करेगा। इस निर्णय के अनुसरण में, एनएमसीजी ने विशेषज्ञ सहायता संघ आईआईटी-आईआईएम और मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधियों और विभिन्न विषय विशेषज्ञ के साथ-साथ पर्यटन, कृषि, मत्स्य पालन, वेटलैंड और जैब विविधता संरक्षण और जिला मजिस्ट्रेट के साथ बैठकें आयोजित की थी। इसके अतिरिक्त आईआईएम आईआईटी सहायता संघ ने गंगा सहित कार्यान्वयन के लिए अर्थ गंगा हेतु रूप रेखा विकसित कर रहे हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि शुरुआत में कृषि मत्स्य पालन, पर्यटन, जैव विविधता और अन्य जैसे महत्वपूर्ण पहल में हस्तक्षेप दिशाओं करते हुए गंगा नदी के दोनों तरफ 10 किमी. तक ध्यान केंद्रित करते हुए इस रूपरेखा को 53 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा।
58.	57.	देश में वैश्विक औसत की तुलना में वायु यातायात तेजी से बढ़ रहा है। उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के	क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) - उने देश का आम नागरिक (उडान) को दिनांक 21.10.2016 को शुरू किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को पहला आरसीएस - उडान का शुभारंभ किया गया था।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		लिए वर्ष 2024 तक एक सौ और हवाई पत्तन तैयार किए जाएंगे। आशा है कि इस अवधि में वायु बेड़े में वायुयानों की संख्या वर्तमान 600 से बढ़कर 1200 तक पहुंच जाएगी। मैं 2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव करती हूं। **मंत्रालय/विभाग: नागर विमानन**	अब तक चालू वित्त वर्ष 2020-21 में 35 मार्गों सहित 303 मार्गों पर उड़ाने आरंभ हो गई हैं जिनसे 5 मिलियन यात्रियों को लाभ हुआ है। स्वतंत्रता के बाद से 70 वर्षों में विकसित किए गए 76 विमानपत्तनों की तुलना में 5 हेलीपत्तनों तथा 2 जल विमानपत्तनों सहित 53 विमानपत्तनों को पिछले तीन वर्षों में विकसित कर लिया गया है। आरसीएस उड़ानों के अंतर्गत वायु परिवहन का नया साधन समुद्री विमान की शुरुआत की गई है। सरकार की योजना है कि 2024 तक 1000 आरसीएस मार्गों और 100 आरसीएस विमानपत्तनों को शुरू कर दिया जाए। 2020-21 के दौरान, 26 आरसीएस विमानपत्तनों को विकसित करने का लक्ष्य था। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण, आरसीएस विमानपत्तनों के विकास/उन्नयन की प्रक्रिया पर असर पड़ा। फिर भी, आरसीएस प्रचालनों के लिए 14 आरसीएस विमानपत्तनों को विकसित/आंशिक रूप से विकसित किया जा चुका है और आशा है कि शेष 12 विमानपत्तनों को 31.03.2021 तक विकसित कर लिया जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 397.17 करोड़ रु. का संपूर्ण बजटीय आबंटन का उपयोग आरसीएस विमानपत्तनों के पुनरुद्धार/विकास हेतु कर लिया गया है।
59.	58.	हर घर में बिजली पहुंचाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। तथापि, वितरण क्षेत्र विशेषकर डीआईएससी ओएमएस वित्तीय दबाव में हैं। मंत्रालय स्मार्ट मीटरिंग को बढ़ावा देना चाहता है। मैं सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह करती हूं कि अगले 3 वर्षों में बिजली के पारंपरिक मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटरों से बदल दिया जाए। इसके अलावा, इससे उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार आपूर्तिकर्ता और दरों का चयन करने की	व्यय विभाग के दिनांक 20.11.2020 के का.ज्ञा. द्वारा ईएफसी बैठक 02.12.2020 को आयोजित हुई। उपर्युक्त विषय पर अगली कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		आजादी मिलेगी। डिस्कॉम्स में सुधार लाने के लिए और अधिक कदम उठाए जाएंगे। मैं वर्ष 2020-21 में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लगभग 22000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखती हूं। **मंत्रालय/विभाग: ऊर्जा मंत्रालय**	
60.	60(1)	इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16200 किमी से बढ़ाकर 27000 किमी तक पहुंचाने का प्रस्ताव है; और **मंत्रालय/विभाग: पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस**	(1) प्रचालनरत गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई लगभग 17,900 कि.मी. है। इसके अलावा, गैस ग्रिड को पूरा करने के लिए, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष परियोजना सहित अतिरिक्त 16,600 कि.मी की ट्रंक पाइपलाइन परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। कुल प्रधिकृत नई पाइप लाइन परियोजनाओं में से, लगभग 8,900 कि.मी. लंबी गैस पाइपलाइन परियोजनाओं का कार्यान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (गेल एवं आईओसीएल) और उनकी विशेष प्रयोजन व्यवस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। बाकी पाइपलाइन परियोजनाएं राज्य एसपीवी तथा निजी कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। (2)पूर्वोत्तर गैस ग्रिड (एनईजीजी) के विकास की सहायता हेतु वीजीएफ जारी करने के लिए बजट प्रावधान करने के लिए लेखा शीर्ष आईजीजीएल द्वारा खोला गया है। (3) 550 कि.मी. लंबी पाइपलाइन की खरीद का आदेश दे दिया गया है। (4) 413 कि.मी. की पाइपलाइन बिछाने की निविदा दे दी गई है।
61.	60(2)	भारत में गैस के बजारों को अधिक विस्तार करने का प्रस्ताव है, पारदर्शी मूल्य-निर्धारण को सुकर बनाने और लेन-देनों को सरल बनाने के लिए और अधिक सुधार कार्य शुरू किए जाएंगे। **मंत्रालय/विभाग: पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस**	प्राकृतिक गैस विपणन संबंधी सुधारों पर एक प्रस्ताव का अनुमोदन 07.10.2020 को किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कुछेक क्षेत्र विकास योजनाओं (एफडीपी), जिसके अंतर्गत उत्पादन साझाकरण संविदाओं में कीमत निर्धारण की संवतंत्रता पहले से ही मौजूद है, को विपणन स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस प्रकार, सभी खोजों और क्षेत्र विकास योजनाओं, जिन्हें 28.02.2019 के पश्चात अनुमोदित किया गया है, के पास विपणन और कीमत निर्धारण की पूरी स्वतंत्रता है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
62.	62(1)	जल्द ही ऐसी नीति लाने का प्रस्ताव करती हूँ जिसके जरिए निजी क्षेत्र को देशभर में डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने में सक्षम बनाया जा सके। इससे हमारी फर्में अपनी मूल्य श्रृंखलाओं के प्रत्येक चरण में आंकड़ों को बड़ी कुशलता से समाविष्ट करने में सक्षम होंगी। **मंत्रालय/विभाग: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी**	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय फिलहाल देशभर में आंकड़ा केंद्र पार्कों का निर्माण करने के लिए निजी सेक्टर के लिए समर्थकारी माहौल बनाने के लिए नीति पर विचार-विमर्श कर रहा है।
63.	62(2)	हमारा विजन है कि ग्राम पंचायत स्तर पर सभी 6 सार्वजनिक संस्थानों जैसे आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों, सरकारी स्कूलों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों, डाकघरों और पुलिस स्टेशनों को डिजीटल कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इसलिए, भारत नेट के माध्यम से फाइबर टू होम (एफटीटीएच) कनेक्शनों से इस वर्ष 100,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। 2020-21 में भारत नेट कार्यक्रम को 6000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। **मंत्रालय/विभाग: दूरसंचार**	• भारतनेटः • ब्लाक से ग्राम पंचायतों तक 4,85,001 कि.मी. आप्टीकल फाइबर केबल बिछाई गई। • 1,50,474 ग्राम पंचायतों को ब्रांडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई जिनमें से 1,47,379 फाइबर से जुड़े हैं और 3095 ग्राम पंचायत दूरस्थ क्षेत्रों में उपग्रह से जुड़े हैं। • फाइबर टू होम कनेक्शनों के माध्यम (एफटीटीएच) से उच्च गति ब्राडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करने के विशेष प्रयास किए गए। आज तक, 4,82,749 कनेक्शन विभिन्न सरकारी सार्वजनिक संस्थानों में उपलब्ध कराए गए हैं। • 21 सितम्बर, 2020 को शुरू किए गए आप्टीकल फाइबर इंटरनेट सेवा से बिहार के सभी 45,945 गांवों को जोड़ने की योजना है।
64.	63.	हमें ज्ञान-प्रेरित उद्यमों के आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। बौद्धिक	डिपार्टमेंट ने पहले ही स्टार्टअप्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन (एसआईपीपी) की सुविधा के लिए एक योजना लागू कर दी है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		संपदा का सृजन और संरक्षण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस संबंध में अनेक उपाय किए जाने प्रस्तावित हैं जिनसे स्टार्ट-अप्स लाभान्वित होंगे। **मंत्रालय/विभाग: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार**	एसआईपीपी योजना के तहत स्टार्टअप आवेदकों को दिए गए पेटेंट और ट्रेडमार्क की संख्या इस प्रकार है: - पेटेंट: 3618 दर्ज किया गया 336 दी गई ट्रेडमार्क 6873 दर्ज किया 3235 दी गई
65.	63(1)	एक ऐसे डिजीटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा जो आईपीआरएस के निर्बाध अनुप्रयोग और अभिग्रहण को सुकर बनाएगा। इसके अतिरक्त, उत्कृष्टता संस्थान में एक ऐसा केन्द्र स्थापित किया जाएगा जो बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में जटिलता और नवोन्मेष पर कार्य करेगा। **मंत्रालय/विभाग:मानव संसाधन विकास/उच्चतर शिक्षा**	डिजिटल प्लेटफॉर्मः आईपीआर डिजिटल प्लेटफॉर्म डीपीआईआईटी में उपलब्ध है जिसमें : एकस्व अधिकार, अभिकल्पना, ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना, जांच रिपोर्ट और तारीखों के बारे में सूचना प्राप्त करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सुनवाई में शामिल होने, पंजीकरण/अनुदान के प्रमाणपत्रों को डाउनलोड करने संबंधी सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। उत्कृष्टता संस्थान में केंद्र की स्थापनाः राजीव गांधी बौद्धिक संपदा कानून विद्यालय की स्थापना 2006 में आईआईटी, खड़गपुर में की गई थी। यह विद्यालय आईपीआर से संबंधित मामलों के क्षेत्र में कार्यशील है। तद्नुसार, यह निर्णय लिया गया है कि आईपीआर पर जटिलता और नवोन्मेष संबंधी मुद्दों का निवारण करने का कार्य आईआईटी, खड़गपुर को सौंपा जाए।
66.	63(2)	नए और उभरते क्षेत्र सहित विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। **मंत्रालय/विभाग: जैव-प्रौद्योगिकी**	उर्जित क्लस्टर कार्यक्रम अनुमोदित है। नए ऊर्जित कलस्टरों के लिए प्रस्ताव की अपेक्षा के लिए घोषणा हो गई है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
67.	63(3)	अवधारणा के साक्ष्य की डिजाइनिंग, इनके निर्माण और वैधीकरण के लिए और इन टेस्ट बेड्स को संपोषित करते हुए प्रोद्योगिकी क्लस्टरों का स्तर और ऊपर उठाने के लिए छोटे पैमाने पर विनिर्माणकारी सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। **मंत्रालय/विभाग: जैव-प्रौद्योगिकी**	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और अगली कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
68.	63(4)	भारत के जेनरिक लैंडस्कप की मैपिंग अगली पीढ़ी की चिकित्सा, कृषि और जैव विविधता प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए हम एक व्यापक डाटा बेस सृजित करने के लिए दो नई राष्ट्रस्तरीय विज्ञान स्कीमों को प्रारंभ करेंगे। **मंत्रालय/विभाग: जैव-प्रौद्योगिकी**	(क) जीनोम इंडिया परियोजना में नमूना संग्रहण के लिए परियोजना में अध्ययन भागीदारों के रूप में भर्ती के लिए 4901 व्यक्तियों का चयन किय गया है। 2051 प्रतिभागियों का नामांकन किया गया है। 400 से अधिक नमूनों का डब्ल्यूजीएस हो चुका है तथा इनमें से आनुवंशिक प्रकारों को कॉल करने के लिए संपूर्ण जीन-समूह अनुक्रमण आंकड़ों का जीन-समूह विस्तीर्ण उच्च-प्रवाह क्षमता जीन प्रारूप विश्लेषण 363 नमूनों पर किया गया है। (ख) पृथ्वी जैव जीन समूह अनुक्रमणः परियोजना आयोजना पूरी हो चुकी है। आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
69.	63(5)	सरकार पहले चरण के स्टार्ट अप्स के उद्भावन और विकास को बढ़ावा देने के लिए सीड फंड सहित प्रारंभिक निधि पोषण प्रदान करने का प्रस्ताव करती है। **मंत्रालय/विभाग: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**	अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के प्रमाण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम' (एसआईएसएफएस), जिसमें 945 करोड़ रु. की राशि नहिति है, विचारधीन है। डीपीआईआईटी स्टार्टअप के लिए क्रडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। सीजीएसएस का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए वित्त प्रदान करने के लिए सदस्य उधार दाता संस्थान (एमएलआई) द्वारा विस्तारित ऋण के लिए एक निश्चित सीमा तक क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स (सीजीएफएस) के लिए एक क्रेडिट गारंटी निधि बनाना है।
70.	64.	क्वांटम प्रौद्यौगिकी व्यापक रूप से विविध एप्लीकेशनों के साथ कंप्यूटिंग, संचार,	हितधारकोंके साथ परामर्श किया गया है और इस मामले में अगली कार्रवाई प्रक्रिया के अधीन है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		साइबर सुरक्षा में नए मोर्चे खोल रही है। आशा है कि इस क्षेत्र में विकसित हो रही सैद्धांतिक संरचनाओं से बड़ी संख्या में वाणिज्यिक एप्लीकेशन उभर कर सामने आएंगे। क्वांटम प्रौद्यौगिकी और एप्लीकेशनों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए 8000 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान करने का प्रस्ताव है। **मंत्रालय/विभाग: विज्ञान और प्रौद्योगिकी**	
71.	67.	वर्ष 1929 के शारदा अधिनियम में संशोधन करते हुए 1978 में महिलाओं के विवाह कीआयु सीमा बढ़ाकर 15 वर्ष से 18 वर्ष की गई। जैसे-जैसे भारत तरक्की कर रहा है, महिलाओं के शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर बन रहे हैं। महिला मातृत्व दर में कमी लाना तथा पोषण के स्तरों में सुधार लाना अनिवार्य है। मातृत्व में प्रवेश करनेवाली बालिका की आयु से जुड़े संपूर्ण मुद्दे को इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। मैं एक कार्यबल नियुक्त करने का प्रस्ताव करती हूं जो अपनी अनुशंसाएं छह माह की समयावधि में देगी। मैं वित्तवर्ष 2020-21 के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35600 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव करती हूं। **मंत्रालय/विभाग: महिला एवं बाल विकास**	मातृत्व की आयु से संबंधित मामलों की जांच के लिए कार्यक्रम, एमएमआरको कम करने की अनिवार्यता,पोषण स्तर में सुधार और संबंधित मुद्दों को राजपत्र अधिसूचना दिनांक 04.06.2020 के जरिए गठित किया गया था।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
72.	69.	हमारी सरकार इस बात को लेकर दृढ़ संकल्प है किसी वर सिस्टमों या सेप्टिक टैंकों की सफाई का कोई मैनुअल कार्य नहीं होगा। ऐसे कार्यों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई है। यह मंत्रालय इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के साथ कार्य कर रहा है। अब हम इसे विधायी एवं संस्थागत परिवर्तनों के माध्यम से इसके तार्किक निर्णय पर ले जाएंगे। ऐसी प्रौद्योगिकीयों की व्यापक पैमाने पर स्वीकृति के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। **मंत्रालय/विभाग: आवासन और शहरी मामले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता**	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** स्वच्छ भारत मिशन को जारी रखने के लिए ईएफसीकी बैठक 17/12/2020 को आयोजित की गई है और ईएफसीने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की पांच साल की अवधि के लिए सिफारिश की है, जिसका कुल सांकेतिक परिव्यय 1,41,678 करोड़ रु बैठता है। इस मामले पर और आगे भी कार्यवाही चल रही है। **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** एसजेई, एमओएचयूए और पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडब्ल्यूएस) और डीपीआईआईटी द्वारा एक समन्वित कार्रवाई शुरू की जाएगी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगमों को पुरस्कृत करने के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने 'सफाई-मित्र सुरक्षा चैलेंज' शुरू किया है। डीपीआईआईटीके साथ डीडब्लयूएस ने 260 स्टार्ट-अप को शॉर्टलिस्ट किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में कीचड़ की समस्या के समाधान के लिए एक अभिविन्यास का आयोजन किया है। एसजेई ने "नियोजन निषेध के नियम के रूप में मैनुअल स्कैन्नर और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)" के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए कार्रवाई शुरू की है। मामले पर अगली कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सीवर और सेप्टिक टैंक की मशीनों से सफाई कराने के लिए आवश्यक मशीनों और वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी और रियायती दर पर ऋण प्रस्तावित है। डेटा संग्रह और जागरूकता पैदा करने के लिए 24.12.2020 को एक मुफ्त मोबाइल एप्लिकेशन, "स्वच्छ भारत अभियान" शुरू किया गया था। इस उद्देश्य के लिए सोसल मीडिया का भी प्रयोग किया जा रहा है और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को संदेश भी दिए जा रहे हैं।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
73.	73.	हमारी सरकार संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक भारतीय धरोहर एवं संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव करती है; इसे शुरू में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त होगा। ऐसे खोजों की वैज्ञानिक प्रमाणिकता जुटाने और उनका विश्लेषण करने और उच्चस्तरीय संग्रहालयों के माध्यम से उनका प्रचार-प्रसार करने के लिए संग्रहालय विज्ञान एवं पुरातत्व विज्ञान जैसी विधाओं में ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। वर्तमान में, इन दोनों विषयों में प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी एक रुकावट है। इससे पर्यटन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। **मंत्रालय/विभाग:संस्कृति मंत्रालय**	इस संस्थान की प्रशासनिक संरचना का काम पूरा किया जा रहा है। इसके बांच भागीदार संस्थानों यथा इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलाजी (आईओए) आफ ए एस आई, ग्रेटर नोएडा, स्कूल ऑफ आर्कइव्स नेशनल आर्कइव्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली नेशनल म्यूजियम इन्स्टीट्यूट ऑफ दि हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजियोलाजी (एनएमआईएचसी एण्ड एम) नेशनल म्यूजियम, नोएडा, इन्दिरा गांधी नेशनल सेन्टर ऑफ आर्ट्स (आईजीएनसीए) नई दिल्ली और नेशनल रिसर्च लेबोरेट्री फॉर कन्जर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रापर्ट्री (एनआरएलसी), लखनऊ के साथ मिलकर पाठ्यक्रम की सूची तैयार करने, पाठ्यक्रम तैयार करने और बाह्य क्रियाकलापों के लिए बातचीत का काम काफी आगे के दौर में है।
74.	74.	स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में पांच पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगा। वे हैं: राखीगढ़ी (हरियाणा), हस्तिनापुर (उत्तरप्रदेश), शिवसागर (असम), धौलाविरा (गुजरात) और अदिचनल्लूर (तमिलनाडु)। **मंत्रालय/विभाग:संस्कृति मंत्रालय**	राखीगढ़ी- प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण एएसआई के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया है और विकास योजनाओं में साइनेज/दिशा बोर्ड, सार्वजनिक सुविधाएं आदि शामिल हैं। हस्तिनापुर - उत्तर प्रदेश सरकार ने संभागीय आयुक्त, मेरठ मंडल को स्थल संग्रहालय की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान के निर्देश दिए हैं। धोलावीरा-विश्व धरोहर समिति के अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। धोलावीरा में मौजूदा साइट संग्रहालय के उन्नयन के मामले की प्रक्रिया चल रही है। आदिंचलूर-संबंधित सर्किल प्रभारी ने भूमि के अधिग्रहण के

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
			लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है। संग्रहालय के विकास के लिए डीपीआर बजट के आबंटन के आधार पर उपयुक्त भूमि के अधिग्रहण के बाद तैयार किया जाएगा। सिबसागर- असम सरकार ने संग्रहालय निर्माण के लिए राज्य पुरातत्व को 5 एकड़ भूमि आवंटित की है। सार्वजनिक सुविधा के लिए 11 चिन्हित सीपीएम में साइनेज, टॉयलेट ब्लॉक आदि सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
75.	75.	हमारे प्रधानमंत्री ने जनवरी, 2020 में कोलकाता के भारतीय संग्रहालय, जो देश में सबसे पुराना है, के पुनरुद्धार की घोषणा की थी। **मंत्रालय/विभाग:संस्कृति मंत्रालय**	तीन हॉल के निर्माण के लिए भारतीय संग्रहालय डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् आरएपजी की विशेष रूप से गठित समिति के समक्ष इसके अनुमोदन हेतु रखा जाएगा। इस पर अनुमोदन मिल जाने के पश्चात् इन तीनों हालों के पुन: अभिरक्षण और आधुनिकीकरण के साथ ही साथ तीन अन्य हालों के विषय वस्तु तैयार करने पर भारतीय म्यूजियम काम कर रहा है जिसको अगले चरण में देखा जाएगा। विषय वस्तु उपलब्ध कराई है जिससे के इसके डिजाइन के काम को मौलिक रूप दिया जा सके।
76.	75(1)	ऐतिहासिक पुराने टकसालभवन में, मुद्रा-विषयक और व्यापार पर एक संग्रहालय भी स्थित होगा। पूरे देश में चार और संग्रहालयों का नवीकरण और री-क्यूरेशन किया जाएगा ताकि आगंतुकों को एक विश्वस्तरीय अनुभूति मिल सके। हमारी सरकार, रांची (झारखंड) में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का समर्थन करेगी। **मंत्रालय/विभाग:आर्थिक कार्य, संस्कृति, जनजातीय कार्य**	**आर्थिक कार्य विभाग** स्ट्रैंड रोड, कोलकाता स्थित ओल्ड मिंट कॉम्प्लेक्स एक प्रमुख और विरासती भवन है जिसका कि एक संग्रहालय के रूप में विकास किया जाना है। इस काम्पलेक्स का एक हिस्सा अस्थायी रूप से 1973 में सीआरपीएफ को दे दिया गया था। न्यूमेस्मेटिक्स एण्ड ट्रेड पर एक संग्रहालय की स्थापना किए जाने के लिए इस आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने संस्कृति मंत्रालय, एसपीएमसीआईएल, आरबीआई और गृह मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया है। इन बैठकों में किए गए निर्णय के आधार पर सीआरपीएफ ने अपने कब्जे में रखे हिस्से को 16 दिसंबर 2020 से खाली कर दिया है। संस्कृति मंत्रालय ने आर्थिक कार्य विभाग को एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें आगे की कार्रवाई के लिए जांच की जा रही है, जिसमें नवीकरण, विशेषज्ञ एजेंसी से तकनीकी सहायता और संग्रहालय के लिए संस्थागत व्यवस्था को अंतिम रूप देना शामिल है। **संस्कृति मंत्रालय** एग्मोर संग्रहालय, चेन्नई के पुनर्विकास की परियोजना को 10,82,77,836/- रूपए की लागत से अनुमोदित किया गया

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
			है और 5,41,38,918/- की पहली किस्त मंजूर हो गई है और जारी की जा रही है। राष्ट्रीय संग्रहालय के 9 दीर्घाओं के डिजाइन के लिए निविदा प्रदान की गई। सीसीटीवी प्रणाली और लैण्डस्क्रैप/फेकेड लाइटिंग के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय संग्रहालय के डिजिटल और इमर्सिव अनुभवों के लिए निविदा खोली गई है और मूल्यांकन के तहत। राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार के नवीकरण का काम शुरू हो गया है। सीपीडब्ल्यूडीअनुमान स्वीकृत हो गया है। **जनजातीय कार्य मंत्रालय** झारखंड में स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय की प्रगति की समीक्षा के संबंध में सचिव (आदिवासी मामलों) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर समिति की एक बैठक 10 अगस्त, 2020 को आयोजित की गई थी। भारत की आजादी के 75 वें वर्ष के जश्न के हिस्से के रूप में इस ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्युजियम के उद्घाटन के लिए झारखण्ड सरकार के साथ बातचीत करके एक अन्तिम तारीख के बारे में निर्णय किया जा रहा है।
77.	75(2)	लोथल, जो अहमदाबाद के निकट हड़प्पा युग का एक नौवहन स्थल है, में पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा एक पोत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। मैं 2020-21 के लिए संस्कृति मंत्रालय को 3150 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करती हूँ। **मंत्रालय/विभाग: पोत परिवहन**	गुजरात सरकार (जीओजी) ने एमओएजीडब्ल्यूको टोकन दर पर 99 वर्षों के लिए पट्टे पर ग्राम सारागवाड़ा में 375 एकड़ भूमि हस्तांतरित की है। भारत के गुजरात राज्य के लोथल ने एक नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज काम्प्लेक्स के विकास, निर्माण और संचालन तथा देखरेख के लिए एमओपीएसडब्ल्यू गुरजार सरकारी और इण्डियन पोर्ट रेल एण्ड कार्पोरेशन लि. के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ईपीसी निविदाओं को आमंत्रित करने के लिए मास्टर प्लान और अपेक्षित डिजाइन/इंजीनियरिंग दस्तावेज तैयार करने के लिए सलाहकार के चयन के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं और मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है।
78.	76.	यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक (विश्वआर्थिकमंच) में भारत का रैंक 2014 के 65वें स्थान से सुधरकर 2019 में 34 हो गया। जनवरी से नवम्बर, 2019 की अवधि का विदेशी	"पर्यटन स्थलों के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच परामर्श की प्रक्रिया चलती रहती है। राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके नए गंतव्य/मार्ग विकसित किए जा रहे हैं। वर्तमान में स्वदेश दर्शन योजना समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जा रही है। ईएफसी के लिए ईएफसी 15 अक्टूबर 2020 को प्रतिष्ठित साइट/डेस्टिनेशन स्कीम तैयार

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		विनिमय आय 1.75 लाख करोड़ रुपए से 7.4 प्रतिशत बढ़कर 1.88 लाख करोड़ रुपए हो गया। पर्यटन में वृद्धि का विकास और रोजगार से सीधा संबंध है। राज्यों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें कुछ चिन्हित स्थानों के लिए एक योजना तैयार करेंगी और 2021 के दौरान वित्तीय योजना तैयार करेंगी जिसके तहत 2020-21 में राज्यों को विशिष्ट अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, मैं वर्ष 2020-21 के लिए 2500 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करती हूँ। **मंत्रालय/विभाग: पर्यटन**	की गयी है। ईएफसी ने वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26की अवधि के लिए 5,109 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 19प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के विकास के प्रस्ताव की कुछ शर्तों के साथ सिफारिश की है हालांकि यह उल्लेख किया जा सकता है कि आरई चरण में पर्यटन मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 1260 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया है।
79.	79.	अभी भी ऐसे जल विद्युत संयंत्र हैं जो पुराने हैं और उनका कार्बन उत्सर्जन स्तर बहुत अधिक है। ऐसे विद्युत संयंत्रों के लिए, हम प्रस्ताव करते हैं कि यदि उनका कार्बन उत्सर्जन पूर्व निर्धारित मानकों से अधिक हो, तो उन्हें चलाने की उपयोगिता उन्हें बन्द कर देने में ही है। इस प्रकार खाली भूमिका वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है। **मंत्रालय/विभाग: ऊर्जा मंत्रालय**	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बताया है कि 01-02-2020 (बजट 2020-21 की घोषणा की तारीख) से 15-12-2020 तक 1260 मेगावाट की कुल 15 कोयला/लिग्नाइट इकाईयों को बन्द कर दिया गया है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
80.	80.	एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों में, स्वच्छ हवा चिंता का विषय है। सरकार उन राज्यों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करती है जो एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बना रही हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं। इस प्रोत्साहन के मानदण्ड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, वर्ष 2020-21 के लिए 4400 करोड़ रुपए आबंटित किया गया है। **मंत्रालय/विभाग: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन**	1. केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के परामर्श से एमओईएफ और सीसी ने दस लाख से अधिक की आबादी वाले मिलियन प्लस शहरों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए प्रदर्शन और परिणामों के मूल्यांकन के लिए एक प्रारूप तैयार किया है। 2. रूपरेखा और आधारभूत मूल्यों पर चर्चा और अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया था। 3. बेसलाइन वायु गुणवत्ता डेटा (2017) और मूल्यांकन पद्धति भी तैयार की गई है और यह रूपरेखा का हिस्सा है। 4. इस कार्य संरचना की काम पूरा होने वाला है।
81.	81.	माननीय अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में मैंने फूलों के गुलदस्ते के रंग और घटकबद्ध योजनाओं एवं कार्यक्रमों का उल्लेख किया है। उन्हें आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और जिम्मेदार भारत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अब मैं उन दो हाथों के बारे में बताती हूँ जो उन्हें संभालेंगे। उनमें से एक हाथ अभिशासनबद्ध निष्पक्ष, भ्रष्टाचार मुक्त, नीति संचालित और सही इरादा और सबसे अधिक	इस प्रस्ताव को वित्त विधेयक 2020 में शामिल किया गया था। आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा जोड़ी गई है, जिसे यहां फिर से प्रस्तुत किया गया है,- "119क. बोर्ड एक करदाता के चार्टर को अपनाएगा और घोषित करेगा और अन्य आयकर अधिकारियों के दिशानिर्देशों पर इस तरह के आदेश / अनुदेश / निर्देश जारी करेगा जो उक्त चार्टर के प्रशासन के लिए उपयुक्त हो "। इसके अलावा 13 अगस्त, 2020 से एक करदाता चार्टर भी अपनाया गया है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		महत्वपूर्ण <u>निष्ठा में विश्वास</u> करना है। प्रत्येक नागरिक, आकांक्षी युवा, कठिन परिश्रम करने वाली महिलाओं, जोखिम उठाने वाले उद्यमियों, सर्वदा आशान्वित और परिश्रमी किसान या बुद्धिमान एवं वृद्ध वरिष्ठ नागरिक पर विश्वास करना। उनमें से कई करदाता हैं। आज अन्य लोग करदाता नहीं हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे समक्ष सभी नागरिकों की तरफ से लक्ष्य के रूप में हासिल करने के लिए “जीवन आसान” को प्रस्तुत किया है। “जीवन आसान” और व्यवसाय करना सरल दोनों का एक महत्वपूर्ण पहलु कर प्रशासन की निष्पक्षता और कुशलता है। हम इस बजट के माध्यम से विधानों में एक "करदाता संहिता" शामिल करना चाहते हैं। हमारी सरकार करदाताओं को पुनः आश्वस्त करना चाहती है कि हम उपाय करते रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि हमारे नागरिक किसी भी प्रकार की कठिनाई से मुक्त हों। **मंत्रालय/विभाग:राजस्व** **विभाग**	

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
82.	82.	विधानों में कार्यों के लिए आपराधिक जिम्मेदारी, जो सिविल प्रकृतिका है, तय करने के बारे में बहस चल रही है। अतः, कम्पनी अधिनियम में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है जो इसे ठीक कर देगा। उसी प्रकार, जहां उपबंध मौजूद है, वहां अन्य कानूनों की भी जांच की जाएगी और उन्हें ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। मंत्रालय/विभाग:कार्पोरेट कार्य	कंपनी अधिनियम, 2013 से संवंधित अपराधों को रोकने के लिए कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020, और देश में कानून का पालन करने वाली कंपनियों के लिए ईजी ऑफ लिविंग को बढ़ाने के उद्देश्य से तथा कुछ अन्य संशोधन करने के लिए 19 सितंबर, 2020 को लोकसभा द्वारा और 22 सितंबर, 2020 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। माननीय राष्ट्रपति की सहमति 28 सितंबर, 2020 को प्राप्त हुई है और तदनुसार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 को सरकारी लॉ में एम / ओ लॉ एंड जस्टिस द्वारा प्रकाशित किया गया है। उसी तारीख को। एम / ओ कॉर्पोरेट मामलों (एमसीए) की वेबसाइट पर संशोधन अधिनियम की एक प्रति अपलोड की गई है। जहां भी जरूरी होता है, नियमों के साथ-साथ इस संशोधन अधिनियम के प्रावधान को लागू करने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।
83.	83.	सरकार का इरादा सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अराजपत्रित पदों पर भर्ती में महत्वपूर्ण सुधार लाना है। वर्तमान में, अभ्यर्थियों को समान पदों के लिए अलग-अलग समय पर अनेक एजेंसियों द्वारा आयोजित अनेक परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है। इससे अभ्यर्थियों के समय, प्रयास और खर्चे पर भारी बोझ पड़ता है। उन अभ्यर्थियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के	19.08.2020 को हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने अधीनस्थ पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, एनआरए की स्थापना के लिए दिनांक 28.08.2020 का आदेश जारी किया गया है। बीएंडए प्रभाग से रुपये के टोकन अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में एनआरए के पंजीकरण के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। इस कार्यालय द्वारा एनआरए के लिए एक उपयुक्त भवन की तलाश की जा रही है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		लिए एक स्वतंत्र, पेशेवर, विशेषज्ञ संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) की स्थापना करने का प्रस्ताव किया जाता है। प्रत्येक जिले में, विशेष रूप से आकांक्षी जिलों में एक परीक्षा केन्द्र स्थापित किया जाएगा। **मंत्रालय/विभाग: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग**	
84.	85.	एक स्थायी एवं भविष्य सूचक व्यवसाय वातावरण इस सरकार की एक मुख्य विशेषता है। संविदाओं को महत्व दिया जाना चाहिए, इस बात पर भी एक बड़ी बहस चल रही है। भारत में संविदाओं से संबंधित एक व्यवस्थित ढांचा है। हम उसे सुदृढ़ करने पर विचार करेंगे। **मंत्रालय/विभाग:विधायी विभाग**	1. विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 को विशिष्ट राहत संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित किया गया है जो 1 अक्टूबर, 2018 को लागू हुआ। 2. इस संशोधन से अनुबंधों को लागू करने में आने वाली ढेर सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि इससे सामान्य नियम को लागू किया जा सकेगा, बैकल्पिक कामकाज की व्यवस्था की जा सकेगी, जन सुविधा सम्बन्धी अनुबंधों को लागू करने में होने वाला विलम्ब समाप्त किया जा सकेगा। इससे स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों में विश्वास बढ़ेगा और आने वाले ... वर्षों में बारत को अपनी रैंकिंग सुधारने में मदद मिलेगी। 3. विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत नामित न्यायालय पहले ही 15 राज्यों 4 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जा चुके हैं।
85.	86.	निरंतर जटिल होती जार ही हमारी अर्थव्यवस्था की वास्तविक समय निगरानी की चुनौतियों को पूरा करने के लिए भारतीय सांख्यिकीय प्रणालीकी आवश्यकता बढ़ती जा रही	अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद आधिकारिक आंकड़ाविषयक राष्ट्रीय नीति प्रक्रियाधीन है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		है। आकड़ों की बहुत ही अधिक विश्वसनीयता होनी चाहिए। आधिकारिक सांख्यिकी से संबंधित प्रस्तावित नई राष्ट्रीयनीति में कृत्रिम बुद्धिमता सहित नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। इससे आधुनिक आकड़ा संग्रहण, समेकित सूचना पोर्टल और सूचनाओं का समय पर प्रसारण की दिशा में एक कार्य-योजना तैयार होगी। **मंत्रालय/विभाग: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन**	
86.	91.	हमने पिछले कुछ समय पहले 10 बैंकों का एकीकरण करके चार बैंक करने का अनुमोदन किया था। पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने विनियामक एवं विकास के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूँजी के माध्यम से लगभग 3,50,000 करोड़ रुपए प्रदान किया था। इन बैंकों में अभिशासन संबंधी सुधार किए जाएंगे ताकि वे	बजट घोषणा के अनुसार, शासन संबंधी निम्नलिखित सुधारों को लागू किया गया है: (क) गैर-सरकारी निदेशकों के प्रदर्शन की समीक्षा को सभी पीएसबी बोर्डों के साथ संस्थागत रूप दिया गया है, जिनके निदेशक के रूप में एक वर्ष पूरा होने पर वे गैर-सरकारी निदेशक होंगे; (ख) बोर्ड समितियों द्वारा बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, पूर्णकालिक निदेशकों और महाप्रबंधकों के प्रदर्शन का आकलन सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बोर्ड समितियों के साथ संस्थागत रूप से उनके लिए वार्षिक मुख्य परिणाम क्षेत्रों की स्थापना के लिए किया गया है; (ग) बड़े व्यवसाय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) स्तर का सृजन करने के लिए

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें। उनमें से कुछ बैंकों को अतिरिक्त पूँजी जुटाने के लिए पूँजीगत बाजार में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। **मंत्रालय/विभाग:वित्तीय सेवाएं**	बड़े पीएसबी को सशक्त बनाने के सरकार के नीतिगत निर्णय को लागू किया गया है और (घ) कर्मचारी प्रदर्शन मूल्यांकन की उच्च मापनीयता वाले बैंकों में व्यवसाय-लक्ष्य और बाजार-शेयर आधारित, प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने की प्रणाली को पीएसबी में ईएएसबी 3.0 सुधार एजेंडा के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ऐसे वार्षिक लक्ष्य की स्थापना के लिए स्थापित किया गया है।
87.	92.	मैं इस गरिमामयी सदन को यह बताना चाहती हूं कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति और जमाकर्ताओं का पैसे की निगरानी करने के लिए एक ठोस तंत्र विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, जमा बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) को जमाकर्ताओं के लिए जमा राशि बीमा का दायरा, जो इस समय 1 लाख रुपये हैं, बढ़ाकर प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपये किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। **मंत्रालय/विभाग:वित्तीय सेवाएं**	भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और डीआईसीजीसी ने पहले ही इस विषय पर 04.02.2020 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। डीआईसीजीसी ने इस संबंध में दिनांक 05.02.2020 के अपने परिपत्र के तहत सभी बीमित बैंकों को भी लिखा है कि उनके परिपत्र दिनांक 05.02.2020 को देखें।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
88.	93.	सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि वृत्तिदक्षता में वृद्धि की जा सके, पूंजी तक पहुंच हो सके और भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सुदृढ़ बैंकिंग के लिए अभिशासन और निगरानी में सुधार लाया जा सके। **मंत्रालय/विभाग:वित्तीय सेवाएं**	सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक संसद में पारित किया गया है और अधिनियम 29.09.120 को अधिसूचित किया गया है।
89.	94.	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हेतु प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002 के अधीन ऋण वसूली हेतु पात्र होने के लिए एनबीएफसी हेतुसीमाको 500 करोड़ रुपये से घटाकर 100 करोड़ रुपये का आस्ति सीमा किए जाने अथवा मौजूदा 1 करोड़ रुपये से घटाकर ऋण सीमा 50 लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। **मंत्रालय/विभाग: वित्तीय सेवाएं**	दिनांक 24.02.2020 को एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें एक सौ करोड़ रूपए और इससे अधिक की परिसंपत्ति राशि वाले भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्ड (च) में यथा परिभाषित गैर - बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को पचास लाख और इससे अधिक रूपए के ऋण के लिए एसएआरएफएईएसआई अधिनय के प्रयोजन से वित्तीय संस्थान के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
90.	95.	पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। फिर भी, अपेक्षाकृत अधिक निजी पूंजी की आवश्यकता है। तदनुसार, भारत सरकार के आईडीबीआई बैंक की शेष पूंजी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से निजी, खुदरा और संस्थागत निवेशकों को बेचे जाने का प्रस्ताव है। **मंत्रालय/विभाग: निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन**	आईडीबीआई बैंक एक सूचीबद्ध बैंक है जिसकी भारत सरकार में 47.11% इक्विटी और एलआईसी में 51%, शेष सार्वजनिक और अन्य में है। •आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार की शेष इक्विटी हिस्सेदारी बेचने के लिए अगली कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
91.	96.	सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पारदर्शिता और अपेक्षाकृत अधिक वृत्तिदक्षता लाने के लिए और भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सरकार उचित उपाय करेगी। **मंत्रालय/विभाग:वित्तीय सेवाएं**	पीएसबी ने अपने तिमाही और वार्षिक परिणामों में प्रकटीकरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए ईएएसई 3.0 सुधार एजेंडा के तहत व्यापक कदम उठाए हैं। ईएएसई 3.0 सुधारएजेंडा के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत विकास योजनाओं को तैयार करने की प्रणाली को अपनाया गया है। व्यावसायीकरण को बढ़ाने के लिए, पीएसबी ने अपने अधिकारियों के लिए बैंकिंग भूमिकाओं की समर्पित कार्य वाले परिवारों का निर्माण किया है। भूमिका आधारित प्रशिक्षण के लिए पीएसबी में वार्षिक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
92.	97.	नौकरी के दौरान आवागमन को आसान बनाने में मदद करने के लिए, हम सार्वभौमिक पेंशन के दायरे को स्वतः नामांकन में लाना चाहते हैं; हम ऐसे तंत्र भी लाना चाहते हैं जो अंतर-प्रचालनीयता में समर्थ बना सके और संचित निधियों के लिए सुरक्षा उपाय मुहैया करा सकें। पीएफआरडीएआई की विनियामक भूमिका के	तदनुसार पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के विभिन्न खंडों में संशोधन प्रक्रियाधीन है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		सुदृढ़ीकरण की आश्यकता है। भारतीय पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम में ऐसे आवश्यक संशोधन किए जाएंगे जो पीएफआरडीएआई से सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएएस न्यास के पृथक्करण को भी सुकर बनाएंगे। यह सरकार से इतर कर्मचारियों द्वारा पेंशन न्यास की स्थापना में भी समर्थ बनाएगा। मुझे विश्वास है कि इससे नागरिक अपनी वृद्धावस्था के लिए योजना बनाने के लिए प्रेरित होंगे। **मंत्रालय/विभाग:वित्तीय सेवाएं**	
93.	98(1)	मैं, कारक विनियमन अधिनियम, 2011 में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे एनबीएफसीटीआरईडीएस के जरिए लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के लिए बीजक वित्त पोषण का विस्तार करने में समर्थ होंगी, जिससे उनकी आर्थिक और वित्तीय धारणीयता में वृद्धि होगी। **मंत्रालय/विभाग: वित्तीय सेवाएं**	कैबिनेट ने 19.08.2020 को प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, बिल 14.09.2020 को लोक सभा में पेश किया गया था। जांच करने एवं इस पर रिपोर्ट देने के लिए इस विधेयक को माननीय अध्यक्ष द्वारा वित्त संबंधी स्थायी समिति भेजा गया है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
94.	98(2)	कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण एमएसएमई के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एमएसएमई के उद्यमियों के लिए अधीनस्थ ऋण प्रदान करने हेतु एक स्कीम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस ऋण की गणना अर्ध-इक्विटी के रूप में की जाएगी और मध्यम तथा लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से इसे पूरी गारंटी प्रदान की जाएगी। तदनुसार, सरकार द्वारा सीजीटीएमएसई की राशि में वृद्धि की जाएगी। **मंत्रालय/विभाग: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम**	1. 01.06.2020 को सीसीईए द्वारा अनुमोदित इस योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है और इससे लगभग 2 लाख संकट ग्रस्त एमएसएमई को लाभ होने की संभावना है। 2. योजना दिशा निर्देश और अकसर पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सूची सभी पीएसयू बैंकों, प्रमुख निजी अनुसूचित बैंकों राज्य सरकारों और प्रमुख उद्योग संघों को जागरूकता पैदा करने के लिए परिपत्रित किए गए है। 3. पूछे जाने वाले प्रश्न के कुछ बिंदुओं पर एमएलआई द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण डीएफएस से परामर्श के बाद प्रस्तुत किए गए हैं 4. कुल 31 बैंकों (सभी पीएसयू बैंकों सहित) को ऋणदाता सदस्य संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया। 5. एएस और डीसी (एमएसएमई) की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में एमएलआई से योजना के तहत पात्र संकटग्रस्त खातों की पहचान की प्रक्रिया को तेज करने का अनुरोध किया गया है। 6. एसबीआई ने प्रारंभिक विश्लेषण के आधार पर रु.750.01 के कुल बकाया वाले 8502 खातों की पहचान की है। 7. 30.12.2020 तक, 23.16 करोड़ रूपए तक की राशि की 234 गारंटियां दी गई हैं।
95.	98(3)	पिछले वर्ष आरबीआई द्वारा स्वीकृत ऋण पुनर्संरचना से पांच लाख से अधिक एमएसएमई को लाभ मिला है। यह पुनसंरचना विंडो 31 मार्च, 2020 को समाप्त होना था। सरकार ने इस विंडो को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने पर विचार करने के लिए आरबीआई से कहा है। **मंत्रालय/विभाग: वित्तीय सेवाएं**	भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 6 अगस्त, 2020 के परिपत्र डीओआर सं. बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 के अनुसार, उधारकर्ता खाते के पुनर्निर्माण को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
96.	98(4)	एक ऐप आधारित बीजत वित्तपोषण ऋण उत्पाद शुरू किया जाएगा। इससे एमएसएमई के लिए विलम्बित भुगतान एवं परिणामी नगदी प्रवाह के बेमेल होने की समस्या दूर होगी। **मंत्रालय/विभाग: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम**	सभी हितधारकों अर्थात् आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, राजस्व विभाग, एमएसएमई मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से नगदी प्रवाह आधारित ऋण के लिए आईएसपीआईआरटी द्वारा एक अनुप्रयोग तैयार किया जा रहा है।
97.	99	मध्यम आकार की बहुत सी कम्पनियां घरेलू स्तर पर सफल हैं परन्तु निर्यात बाजारों में सफल नहीं हैं। चुनिंदा क्षेत्रों, जैसे कि भेषज, ऑटो के पुर्जों और अन्य के लिए हम तकनीकी उन्नयन, आरएण्डी व्यवसाय रणनीति आदे के लिए घरेलू सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करते हैं। एक्जिम बैंक द्वारा एसआईडीबीआई के साथ मिलकर 1000 करोड़ रूपए की एक योजना आरंभ की जाएगी। इन दोनों संस्थाओं में से प्रत्येक दोनों 50 करोड़ रुपए का अंशदान करेंगी। यह 100 करोड़ रूपए इक्विटी एवं तकनीकी सहायता के तहत प्राप्त होगी। 900 करोड़ रुपए का ऋण निधियन बैंकों से उपलब्ध कराए जाएंगे। **मंत्रालय/विभाग: वित्तीय सेवाएं**	आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक्जिम बैंक अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत सरकार की मंजूरी के संबंध में 17.11.2020 को अवगत कराया गया है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
98.	100(1)	सरकारी प्रतिभूतियों की कुछ विनिर्दिष्ट क्रेडिटियां घरेलू निवेशकों को उपलब्ध कराए जाने के अलावा गैर-निवासी निवेशकों के लिए भी खोली जाएंगी। **मंत्रालय/विभाग: आर्थिक कार्य**	भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 मार्च 20,2020 के परिपत्र के तहत भारत सरकार की प्रतिभूतियों में अनिवासी भारतियों द्वारा निवेश के लिए' पूर्णत: सुलभ मार्ग' अधिसूचित किया है।
99.	100(2)	कार्पोरेट बॉड में एफपीआई की सीमा जो इस समय बकाए स्टॉक का 9% है, बढ़ाकर कार्पोरेट बॉड के बकाए स्टॉक का 15% किया जाएगा। **मंत्रालय/विभाग: आर्थिक कार्य**	आरबीआई ने मार्च 30,2020 के परिपत्र के तहत कार्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई निवेश की सीमा को बढ़ाकर 2020-21 के बकाए स्टॉक का 15% तक कर दिया है।
100.	100(3)	निदेशकों का विश्वास बढ़ाने और क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप्स के अवसर को बढ़ाने के लिए हम वित्तीय संविदाओं के निर्माण के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए सदन के समक्ष रखा जाने वाला एक कानून बनाने का प्रस्ताव करते है। **मंत्रालय/विभाग: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग**	मंत्रिमंडल ने 20 मार्च, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में संसद में अर्हक वित्तीय संविदाओं का द्विपक्षीय लाभ (विधेयक) पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को सितम्बर, 2020 में संसद द्वारा पारित किया गया। अर्हक वित्तीय संविदा का द्विपक्षीय लाभ अदिनियम, 2020 (अधिनियम के 25 सितम्बर, 2020 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया इस अधिनियम को 1 अक्टूबर, 2020 को लागू किया गया। यह अधिनियम बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान पर्याप्त बचत का पाएंगे। यह अधिनियम देश की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा और वित्तीय बाजार, विशेष रूप से वित्तीय डेरिवेटिव बाजार और कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को और विकसित करने में सुविधा प्रदान करेगा। अधिनियम का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विनियामक और परिचालन रूप रेखा तैयार की जा रही है।
101.	101.	सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई ऋण-आधारित एक्सचेंज कारोबारित निधि (ईटीएफ) एक बड़ी सफलता थी। सरकार मूल रूप से	इस प्रस्ताव पर विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल कर के एक नई ऋण-ईटीएफ शुरू कर के इसका विस्तार करने का प्रस्ताव करती है। यह खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों तक पहुंच सुलभ कराने के साथ-साथ पेंशन निधियों और दीर्घावधिक निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश प्रदान करेगी। आर्थिक कार्य मंत्रालय/विभाग	
102.	102.	एनबीएफसीफसीएचए/की नकदी संबधी बाधाओं का निराकरण करने के लिए, केन्द्रीय बजट 2019-20 के बाद, सरकार ने एनबीएफसी के लिए एक आंशिक ऋण गारंटी स्कीम तैयार की है। नकदी उपलब्ध कराने की इस सहायता को आगे बढ़ाने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाएगा। सरकार इस प्रकार शुरू की गई प्रतिभूतियों की गारंटी देकर सहायता प्रदान करेगी। **मंत्रालय/विभाग:** **आर्थिक कार्य विभाग**	विशेष नगदी योजना नगदी में सुधार लाने और वित्तीय क्षेत्र के लिए संभावित प्रणालीगत जोखिमों से बचने के लिए एनबीएफसी/एचएफसी के लिए 1 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। एसपीवी द्वारा सदस्यता प्राप्त करने के लिए योजना तीन महीने तक खुली रही जो 30 सितंबर, 2020 को समाप्त हो गई और बकाया राशि की वसूली अगले तीन महीनों में 29 दिसंबर, 2020 तक की जानी थी। योजना के सभी संचालन लक्षित समय अवधि के भीतर पूरे किए गए हैं। कुल 71,25,51,62,900/- रुपये का भुगतान 28 एनबीएफसी/ एचएफसी को 23 लिखतों के माध्यम से किया गया है। सभी लिखतों के लिखतों मूलधन और ब्याज की चुकौती हेतु 72,49,60,15,809/- की राशि प्राप्त हो गई है।
103.	103.	जब 103 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप लाइन परियोजनाओं की घोषणा की गई थी तब अवसंरचना में निवेश के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई थी। मैं यह भी सूचित करना चाहूंगी कि	**वित्तीय सेवाएँ विभाग** कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों के मद्देनजर, आईआईएफसीएल में रु. 10000 करोड़ का पूँजीगत निवेश जैसाकि बजट अनुमान 2020-21 में समझा गया था वर्तमान वित्त वर्ष में अपेक्षित नहीं होगा। 2020-21 के संशोधित अनुमान में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। पूंजीगत निवेश की आवश्यकता केवल वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान होगी।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		अवसंरचना परियोजना की सहायता के रूप में लगभग 22,000 करोड़ रुपये की राशि पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। यह आईआईएफसीएल तथा एनआईआईएफ की सहायक कंपनी जैसी अवसंरचना वित्त कंपनियों को इक्विटी सहायता की पूर्ति करेगी। वे इसका उपयोग, यथा अनुमेय, 1,00,000 करोड़ से अधिक की वित्त पोषण परियोजना के सृजन के लिए करेंगे। इससे अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधिक ऋण के एक बड़े स्रोत का सृजन होगा और एक बहु प्रतीक्षित अनिवार्यता पूर्ण होगी। **मंत्रालय/विभाग:वित्तीय सेवाएं, आर्थिक कार्य**	**आर्थिक कार्य विभाग** एनआईआईएफ की पोर्टफोलियो कंपनियों का मूल्यांकन करने के लिए एसबीआई कैपिटल मार्केट (एसबीआईसीएपी) लगाया गया है।
104.	104(1)	आवास भवन के लिए गिफ्ट आईएफएससी एक अनुमोदित मुक्त व्यापार जोन है। इसकी पहले से ही 19 बीमा कंपनियां, 40 बैंकिंग कंपनियां हैं। इसने बहु मूल्य धातु परीक्षण प्रयोगशालाओं और परिष्करण सुविधाओं की स्थापना का भी प्रावधान किया है। विनियामक के अनुमोदन से, गिफ्ट सिटी वैश्विक बाजार भागीदारों द्वारा व्यापार के लिए एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में	1. भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) अधिनियम, 2019 के तहत वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं के रूप में संबंधित सेवाओं के रूप में बुलियन स्पॉट डिलीवरी अनुबंध और बुलियन डिपॉजिटरी रसीद (अंतर्निहित बुलियन के साथ) को अधिसूचित किया है। 2. इस एक्सचेंज के परिचालन के लिए, आईएफएससीए ने तकनीकी और अनुसंधान सहायता के साथ अपेक्षित हित धारकों के साथ परामर्श की सुविधा के लिए आईआईएम अहमदाबाद (आईजीपीसी-आईआईएमए) में भारत स्वर्ण नीति केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। एक्सचेंज के तौर-तरीकों, संरचना, रूपरेखा आदि पर केंद्रित चर्चा के लिए 3. एवर्किंग ग्रुप का गठन किया गया, जिसने 23 नवंबर, 2020 को

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
		गिफ्ट-आईएफएससी में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना करेगा। यह स्वर्ण आयातों और निर्यातों के लिए प्राथमिक अंतर मध्यवर्ती होगा। यह भारत को विश्वभर में अपने स्थान को सुधारने और भारत में रोजगार सृजित करने में समर्थ बनाएगा तथा इस से स्वर्ण का बेहतर मूल्य अन्वेषण हो पाएगा। **मंत्रालय/विभाग: आर्थिक कार्य**	अपनी रिपोर्ट सौंपी। 4. इसके बाद, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 को 11 दिसंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया। 5. कार्य समूह की सिफारिशों की जांच करने और आईबीई के परिचालन के लिए आवश्यक नियामक संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया गया है। संचालन समिति की पहली बैठक 18 दिसंबर, 2020 को अध्यक्ष, आईएफएससीए की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक के कार्य वृत सदस्यों को प्रसारित किए गए हैं। 6. बीएसई, एनएसई, एमसीएक्स, एनएसडीएल और सीएसडीएल से रिपेसेन्टेटिव्स से युक्त एक कार्य समूह का गठन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईबीई) के लिए परिचालन ढांचे के अधिनियमन के लिए भी किया गया है। इस संबंध में, कार्य समूह की पहली बैठक 13 जनवरी, 2021 को आयोजित की गई थी।
105.	105.	स्टॉक एक्सचेंजों में कंपनियों को सूचीबद्ध करना कंपनी को अनुशासित करता है और वित्तीय बाजारों तक पहुंच उपलब्ध कराता है तथा इसके मूल्य को मुक्त करता है। यह खुदरा निवेशकों को इस प्रकार सृजित संपदा में भागीदारी के लिए अवसर भी प्रदान करता है। वर्तमान में सरकार आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) द्वारा एलआईसी में अपनी शेयर पूंजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव करती है। **मंत्रालय/विभाग: वित्तीय सेवाएं, दीपम**	**वित्तीय सेवाएँ विभाग** उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक नियमित तौर पर तौर-तरीकों और आगे बढ़ने पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती है। एलआईसी अधिनियम, 1956 में आईपीओ और आवश्यक संशोधन लाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए दीपम द्वारा पूर्व-आईपीओ लेन देन सलाहकार की नियुक्ति। डेलॉयट टूचे टोह मात्सु इंडिया और मेसर्स एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड को डीआईपीएम द्वारा पूर्व-आईपीओ लेन देन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। **दीपम** एलआईसी के आईपीओ को आवश्यक विधायी परिवर्तन और विनियामक अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सूचीबद्ध करने के लिए रोड मैप बनाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग, दीपम, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग और एलआईसी के अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) की स्थापना की गई थी।

क्र.सं.	बजट पैरा नं.	बजट घोषणाओं का सार	की गई कार्रवाई की स्थिति
			• दिनांक 24.07.2020, 27.07.2020, 28.07.2020 और 03.08.2020 को आयोजित बैठकों में एचएलसी के समक्ष बोली दाताओं को आमंत्रित किया गया और बोलीदाताओं ने प्रस्तुतिकरण दी थी। एचएलसी ने दो प्री-आईपीओटीए (एस) के चयन करने की सिफारिश की, जिन्हें 27.08.2020 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। • 11.12.2020 तक बोलियों को आमंत्रित किया गया था और 17.12.2020 को बैठक में एचएलसी ने एक एक्चुरियल फर्म की नियुक्ति की सिफारिश की थी। माननीय वित्त मंत्री ने एलआईसीआई की सूचीबद्ध के लिए एक्चुरियल फर्म की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। 6.1.2021 को चयनित एक्चुरियल फर्म को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। • एचएलसी ने 27.10.2020 को बैठक में एलआईसी आईआईपीओ के लिए प्री-आईपीओ लेनदेन सलाहकार द्वारा प्रस्तावित समय सीमा के साथ विस्तृत कार्य योजना पर भी चर्चा की और इसकी मंजूरी दी।
106.	112.	स्टॉक एक्सचेंजों में कंपनियों को सूचीबद्ध करना कंपनी को अनुशासित करता है और वित्तीय बाजारों तक पहुंच उपलब्ध कराता है तथा इसके मूल्य को मुक्त करता है। यह खुदरा निवेशकों को इस प्रकार सृजित संपदा में भागीदारी के लिए अवसर भी प्रदान करता है। वर्तमान में सरकार आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) द्वारा एलआईसी में अपनी शेयर पूंजी का हिस्सा बेने का प्रस्ताव करता है। **मंत्रालय/विभाग: आर्थिक कार्य**	एसबीआई कैपिटल मार्केट (एसबीआईसीएपी) को एनआईआईएफ की पोर्ट फोलियो कंपनियों के मूल्यांकन को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया है।